उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड

(उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित)

क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष : 2019-20

नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, निकट डायल 100, लखनऊ

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड

(उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित)

क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष : 2019-20

नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''
मन्त्री
नगर विकास, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग

कार्यालय : 2238896
सी.एच. : 2213251
कक्ष संख्या 59–59ए, मुख्य भवन
विधान भवन, लखनऊ
दिनांक : 12/06/2020

सन्देश

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 2019–20 का क्रियाकलाप तैयार किया गया है जिसे मुद्रित कराकर राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

मुझे विश्वास है कि अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड कृत्यों का निष्पादन पूर्ववत् करता रहेगा और प्रदेश की नगरीय निकाएँ अपने वित्तीय स्वावलम्बन की दिशा में बोर्ड के मार्ग दर्शन के अनुरूप सतत प्रयत्नशील रहेंगी।

मेरी हार्दिक शुभ–कामनाएँ।

(आशुतोष टण्डन)

राकेश गर्ग
आई0ए0एस0 (से0 नि0)
अध्यक्ष

प्राक्कथन

भारत के 13वें वित्त आयोग द्वारा जनरल परफार्मेन्स ग्रान्ट की अंश राशि आहरित करने के लिए जिन शर्तों के अनुपालन का उल्लेख किया गया था उनमें शर्त संख्या (VII) के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करने और राजस्व के विभिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता का निर्धारण करने, निकायों की सभी सम्पत्तियों को प्रगणित करने या प्रगणित कराने तथा डाटाबेस तैयार करने, सम्पत्ति कर एवं अन्य राजस्व संसाधनों की समीक्षा, सम्पत्तियों के मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करने और करेतर मदों की दरों हेतु आधार सुझाने, सम्पत्तियों के मूल्यांकन करने या कराने, सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करने, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अपेक्षा करने अथवा संकल्प के माध्यम से नगरीय निकायों द्वारा अनुरोध करने पर भूमि या भवनों के मूल्यांकन और नगरीय निकायों के राजस्व वृद्धि के संबंध में सलाह देने तथा प्रयोक्ता प्रभार, भूमि और भवनों के मूल्यांकन और संसाधनों के सृजन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों के निर्वहन, जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा नगरीय निकायों द्वारा संकल्प के माध्यम से अनुरोध किया जाय, के उद्देश्यों से उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई।

नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराना निरन्तर व्यय साध्य होता जा रहा है। अतः उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम और समर्थ होने की दिशा में सक्रिय होना होगा। प्रदेश की नगरीय निकायों, विशेष कर छोटी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को अपने निजी वित्तीय संसाधनों के सृजन और उपलब्ध वित्तीय स्रोतों के दोहन में विशेष रूचि लेने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन के क्रम में प्रदेश के नगरीय निकायों की जनपद और मण्डल स्तर पर बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। बोर्ड द्वारा इस दिशा में निकायों को निरन्तर संवेदित और प्रेरित किया जा रहा है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और विधिसम्मत नये स्रोतों के सृजन हेतु अनवरत विचार विनिमय जारी है। भारत के संविधान के 74वें संशोधन की मंशा के अनुरूप नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने हेतु निरन्तर प्रयासरत रहना होगा, तभी स्वायत्त शासन की परिकल्पना साकार हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा 28 के अधीन बोर्ड की क्रिया कलापों की वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 एतद् द्वारा प्रस्तुत है।

(राकेश गर्ग)
अध्यक्ष

उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड
क्रिया कलापों की वार्षिक रिपोर्ट
वर्ष 2019–20

1. बोर्ड की स्थापना

भारत के 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों को जनरल परफार्मेन्स ग्रान्ट के अपने अंश को आहरित करने के निमित्त दी गई शर्त (vii) के अनुपालन के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों में वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति से सम्पत्तियों के मूल्यांकन, कर निर्धारण और निकायों में वित्तीय संसाधनों के सृजन और विकास में प्रभावी परामर्श और संस्तुतियॉ देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या–649/नौ–9–2011–163ज/2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड एक निगमित निकाय है और इसका मुख्यालय नगरीय शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में स्थित है।

2. बोर्ड की संरचना

(1)– उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश पदेन सदस्य होते हैं।

(2)– बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास 25 वर्षों से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव हो और राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव अथवा उसके समकक्ष शहरी प्रशासन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखने वाले किसी अन्य पद को अवश्य धारित कर चुका हो।

(3)– बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास नगरपालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहरी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, नगरपालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो।

(4)– बोर्ड के अनुरोध पर अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन एक सचिव की नियुक्ति, विशेष सचिव स्तर से अन्यून भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के ऐसे अधिकारी जिसे नगरपालिका कार्य प्रणाली, नगरपालिका वित्त एवं विधियों का अनुभव हो अथवा उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित प्रशासनिक (प्रवर) सेवा के ऐसे अधिकारी जिसे 25 वर्षों से अन्यून नगरीय निकायों में कार्य करने का अनुभव हो और उसकी सेवा उत्कृष्ट रही हो, प्रतिनियुक्ति पर किये जाने का प्रावधान है।

(5)– अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेंगे और वेतन तथा भत्तों सहित उनकी सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाए।

परन्तु यह कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या कोई सदस्य पद धारित नहीं करेंगे।

(6)– बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री कपिल देव, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त) को दिनांक 29–07–2011 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वे दिनांक 31–07–2016 को कार्यावधि पूर्ण कर पद मुक्त हुए।

(7)– बोर्ड के सदस्य के पदों पर 03 सदस्य श्री शिव शंकर सिंह, श्री शंकर सिंह तथा कु0 रेखा गुप्ता, को दिनांक 14–07–2016 को मा0 श्री राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई जो क्रमशः दिनांक 09.09.2019, दिनांक 26.02.2020, दिनांक 17.08.2017 को सेवा निवृत्त हुए।

(8)– बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री राकेश गर्ग, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त) को मा0 श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 24–12–2016 को शपथ ग्रहण कराई गई।

(9)– श्री ओ0एन0 सिंह को दिनांक 17–05–2018 को श्री राज्यपाल द्वारा सदस्य के पद की शपथ दिलाई गई। उनके द्वारा दिनांक 02.01.2020 को त्याग पत्र दिया गया।

(10)– श्रीमती रीना सिंह स्थानान्तरण के फलस्वरूप दिनांक 18.07.2019 को सचिव के पद से कार्यमुक्त हुईं और श्री डी0पी0 पाल, द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में सचिव के पद पर दिनांक 18.07.2019 को योगदान दिया गया।

3. बोर्ड के कृत्य

बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य हैं–

(1) विभिन्न नगरपालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजस्व के भिन्न–भिन्न संसाधनों की कार्यक्षमता का निर्धारण करना जिससे कि इसमें अभिवृद्धि की जा सके और ऐसे नये साधनों को भी सृजित किया जा सके;

(2) राज्य में नगरपालिकाओं की सभी सम्पत्तियों को प्रगणित करना या प्रगणित कराना और एक डाटाबेस तैयार करना;

(3) सम्पत्ति और जलकर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और सम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा नगरपालिकाओं की गैर कर मदों और कर की दरों हेतु उपयुक्त आधार सुझाना;

(4) नगरपालिकाओं में सम्पत्तियों के मूल्यांकन, उनके सत्यापन के लिए निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करना और सूत्रपात करना;

(5) केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय निकायों और छूट प्राप्त सम्पत्तियों सहित राज्य की नगरपालिकाओं में समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या कराना;

(6) आवर्तिक पुनरीक्षण के लिए तौर तरीके संस्तुत करना;

(7) सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करना;

(8) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना के लिए मूल्यांकनों का सुलभ प्रकटीकरण करना;

(9) राज्य सरकार के सरकारी गजट में वार्षिक कार्य योजना प्रकाशित करना;

(10) नगरपालिकाओं के लिए सम्पत्तियों के मूल्यांकन और नगरपालिका राजस्व की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सलाह देना जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यम से नगरपालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय;

(11) भूमि और भवनों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता के विकास सहित प्रयोगकर्ता प्रभारों, संसाधन पैदा करने और उसके मूल्यांकन के क्षेत्र के ऐसे अन्य कृत्यों को निष्पादित करना जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यमों से नगरपालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

4. बोर्ड का अधिष्ठानः–

बोर्ड के लिए सृजित पद और उसके सापेक्ष नियुक्तियां –

बोर्ड के संचालन हेतु उ0 प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग–9 के आदेश संख्या 476/नौ–9–2016–380ज/11 दिनांक 06 जून, 2016 द्वारा कुल 25 पदों का स्थाई रूप से सृजन किया गया जिनमें 08 पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से एवं 17 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान किया गया। उक्त पद निम्नवत् हैंः–

(क) प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन (छठा वेतन आयोग)
1.	मुख्य लेखाधिकारी/वित्त विषेशज्ञ	01	15600–39100 (6600)
2.	लेखाकार/सम्प्रेक्षक	01	9300–34800 (4200)
3.	कर निर्धारण अधिकारी	01	15600–39100 (5400)
4.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	15600–39100 (5400)
5.	शोध अधिकारी	01	15600–39100 (5400)
6.	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	01	15600–39100 (5400)
7.	अवर अभियन्ता	01	9300–34800 (4200)
8.	राजस्व निरीक्षक	01	5200–20200 (2800)
	पदों की कुल संख्या	08	

शासनादेश संख्या– 09/नौ–9– 2016–380ज/11 दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले 08 पदों में से तीन पदों के सम्बन्ध में यह प्रावधान किया गया कि उन्हें संविदा/प्रतिनियुक्ति दोनों से निर्धारित शर्तों के अधीन भरा जा सकता है। ऐसे तीन पद एवं शर्ते निम्नवत हैंः–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1.	मुख्य लेखाधिकारी/वित्त विशेषज्ञ	01
2.	शोध अधिकारी	01
3.	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	01

शर्ते– (1) उक्त तीनों पदों पर संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। संविदा के आधार पर केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों की ही

नियुक्ति की जाएगी।

(2) प्रश्नगत तीनों पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण सामान्य सिद्धान्त के अनुसार उनके द्वारा आहरित अन्तिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग) में से शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की राशि घटाते हुए किया जाएगा अथवा उनके वेतन बैण्ड में अधिकतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग, दोनों में जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(3) संविदा पर कार्यरत रहने की अवधि तक पेंशन पर मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

वैयक्तिक सहायकों के पद

शासनादेश संख्या–879/नौ–9–2018–380ज/2011, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 के 01 पद तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के 04 पदों को आउटसोर्सिंग के स्थान पर संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :–

(1) ''प्रश्नगत पदों पर संविदा के आधार पर केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों की ही नियुक्ति की जायेगी।

(2) प्रश्नगत पदों पर वेतन का निर्धारण सामान्य सिद्धान्त के अनुसार उनके द्वारा आहरित अन्तिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग) में से शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की राशि को घटाते हुए किया जायेगा अथवा उनके वेतन बैण्ड में अधिकतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग, दोनों में जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(3) संविदा पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा सेवारत रहने की अवधि तक पेंशन पर मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।''

उक्तवत्, प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर भरे जाने वाले 13 पदों के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में भरे हुए पदों की स्थिति निम्नवत् है :

क्र.	पदनाम	कार्यरत व्यक्ति का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	अवमुक्त होने की तिथि	नियुक्ति का प्रकार	अभ्युक्ति
1	मुख्य लेखाधिकारी/वित्त विशेषज्ञ	श्री कृष्ण गोपाल	11.08.17	–	संविदा	–
2.	शोध अधिकारी	श्री आर0एन0 पाल	30.06.17	–	संविदा	–
3	लेखाकार/सम्प्रेक्षक	श्री विनोद कुमार मिश्र	25.01.18	–	प्रतिनियुक्ति	–
4	कर निर्धारण अधिकारी	श्री गजेन्द्र कुमार	05.07.19	–	प्रतिनियुक्ति	
5	सहायक अभियन्ता	श्री दीपक यादव, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, कानपुर (सम्बद्ध)	–	–	–	सहायक अभियन्ता के पद के सापेक्ष्य शासन द्वारा श्री दीपक यादव, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, कानपुर को सम्बद्ध किया गया है। इनके वेतन भत्तों का व्यय– भार नगर निगम द्वारा वहन किया जाता है।

6	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	08.02.18	08.05.19	संविदा	
		श्री अशोक कुमार	31.05.19	–	प्रतिनियुक्ति	
7	अवर अभियन्ता	रिक्त	–	–	–	
8	राजस्व निरीक्षक	श्री दीपक श्रीवास्तव	26.08.19		प्रतिनियुक्ति	
9.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 (अध्यक्ष हेतु)	श्री आलोक	06.03.19	–	संविदा	
10.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	श्री के0एल0 गेहानी	06.03.19	–	संविदा	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के दो पद रिक्त हैं।
11.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	श्री दुर्वेश कुमार	06.03.19	–	संविदा	

(ख) आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1.	वाहन चालक (अध्यक्ष हेतु)	01
2.	अनुचर/अर्दली (अध्यक्ष हेतु)	01
3.	▪ वाहन चालक	03
4.	अनुचर/अर्दली (प्रत्येक सदस्य के साथ एक–एक)	04
5.	वरिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर	01
6.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	01
7.	संख्या सहायक	01
8.	अनुचर	02
9.	चौकीदार	01
	पदों की कुल संख्या	15

- शासनादेश संख्या–476/ नौ–9–2016–380ज/11, दिनांक 06 जून, 2016 के अंतर्गत वाहन चालक के 01 पद के अतिरिक्त शासन के आदेश संख्या–683/9–9–2018– 380ज/11टी0सी0, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा वाहन चालकों के 03 अतिरिक्त पद आउट सोर्सिंग के आधार पर भरे जाने हेतु सृजित किए गए।

5. बोर्ड की बैठकें:–

वर्ष 2019–20 में बोर्ड की 08 बैठकें सम्पन्न हुईं, जिनका सारांश **संलग्नक–1** पर है।

6. बोर्ड का वित्तीय विवरणः–

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2019–20 का व्यय विवरण (अनन्तिम)

क्रमांक	मद	विवरण	व्यय की गई धनराशि (लाख रूपये में)
01	**गैरवेतन मद**	1. पारिश्रमिक (आउटसोर्स कर्मियों के लिए)	17.49
		2. यात्रा व्यय	05.78
		3. टेलीफोन ब्राडबैंड कनेक्शन	0.76
		4. कार्यालय भवन का अनुरक्षण	30.00
		5. विद्युत व्यय	–––
		6. कम्प्यूटरप्रिन्टर/टोनर	06.37
		7. फर्नीचर एवं उपकरण	––
		8. मानदेय	0.06
		9. बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन	01.65
		10. वाहनों का रखरखाव, पी.ओ.एल. तथा बीमा	06.84
		11. किराये पर वाहन लिया जाना	04.89
		12. विद्युत उपकरण	0.12
		13. कार्यालय व्यय	04.78
		14. विज्ञापन	01.42
		15. व्यावसायिक शुल्क	0.33
		16. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.08
		17. पोस्टल स्टाम्प	0.12
		18. कार्यालय में केबिन व पार्टीशन का निर्माण	06.07
		19. बोर्ड विनियमावली का निर्माण	0.66
		20. फास्ट टैग रिचार्ज	0.26
		योग :	**87.68**
02	**वेतन**	वेतन	**166.69**
03	**वेतन पुनरीक्षण का एरियर**	सातवें वेतन आयोग को लागू करने पर एरियर	**0.52**
		कुल योग(1+2+3)	**254.89**

7. बोर्ड के लेखों की सम्परीक्षा

(क)- प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा आडिट

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा 27 (3) में बोर्ड की लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान है :–

''बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपगत किसी व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा महालेखाकार को किया जायेगा।''

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड के पत्र संख्या न0वि0सं0बो0/डी–449/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय

संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011, उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 एवं बोर्ड के कार्य कलापों से सम्बन्धित बिन्दुवार टिप्पणी भेजते हुए प्रधान महालेखाकार (आडिट), उत्तर प्रदेश से बोर्ड के लेखों के आडिट हेतु तिथियॉ निर्धारित करते हुए सूचित किये जाने का अनुरोध किया गया।

बोर्ड के उक्त पत्र के सन्दर्भ में प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्याः सो0से0–1 (नि)/390, दिनांक 22.08.2017 द्वारा बोर्ड के वित्त पोषण एवं अद्यतन आय–व्यय के लेखों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी जो प्रधान महालेखाकार को बोर्ड के पत्र संख्या–न0वि0सं0बो0/डी–504/2017, दिनांक 08 सितम्बर, 2017 द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी गयी। पुनः प्रधान महालेखाकार के पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा बोर्ड के बैठकों के कार्यवृत्त से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी जो उन्हें बोर्ड के पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रेषित कर दी गयी। उक्त के क्रम में प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को बोर्ड के पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा आडिट हेतु शीघ्रातिशीघ्र तिथियॉ निर्धारित करने हेतु अनुस्मारक भेजा गया। पुनः प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 28.06.2018 द्वारा बोर्ड की वर्ष 2017–18 में बैठकों की संख्या एवं उनके कार्यवृत्त की छायाप्रति की मांग की गयी जो उन्हें बोर्ड के पत्र दिनांक 04 जुलाई, 2018 द्वारा भेज दी गयी।

प्रधान महालेखाकार से उक्त के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड के पत्र संख्या–न0वि0सं0बो0/डी–588/2018, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 द्वारा सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए आडिट हेतु अनुरोध किया गया। उक्त पत्र के साथ प्रधान महालेखाकार को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जो सीएजी के पैनल पर हैं, द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक के आडिट प्रतिवेदनों की प्रतियॉ एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के आडिट प्रतिवेदनों में की गयी अभ्युक्तियों पर कृत कार्यवाही, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की प्रतियॉ भी प्रेषित की गयीं किन्तु प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) ने लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथियों से संसूचित नहीं किया। ज्ञातव्य है कि बोर्ड के लेखों का महालेखाकार द्वारा आडिट किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन को भी बोर्ड के पृष्ठांकन संख्या–न0वि0 सं0बो0/डी–449/2017, दिनांक 19.07.2017 तथा पत्र संख्या–न0वि0 सं0बो0/डी–30/2019, दिनांक 11.01.2019 तथा पृष्ठांकन संख्या–न0वि0 सं0बो0/डी–411/2019 दिनांक 26.07.2019 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 में बोर्ड के निम्नांकित पत्रों द्वारा प्रधान महालेखाकार से यह अनुरोध किया गया है कि अक्टूबर 2017 से बोर्ड के लेखों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट किये जाने के सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लेते हुए सूचित करने का कष्ट करें। प्रधान लेखाकार से यह भी निवेदन किया गया कि यदि उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम–2011 की धारा–27 (3) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पैनल से चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किये जा रहे लेखा परीक्षा को पर्याप्त समझा जाये तो उससे भी संसूचित करने की कृपा करें ताकि तद्नुसार राज्य सरकार से उक्त धारा 27 (3) के परिप्रेक्ष्य में आडिट हेतु विहित करने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

संक्षेप में महालेखाकार से आडिट के संबंध में हुआ पत्राचार निम्न चार्ट में देखा जा सकता है–

क्रमांक	प्रेषक	पंत्राक	दिनांक	पत्र प्राप्तकर्ता	विषय
1	उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	न0वि0सं0बो0/डी0 –411/2019	26.07.2019	प्रधान महालेखाकार	बोर्ड के लेखों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट किये जाने के संबंध में
2	उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	न0वि0सं0बो0/डी0 –519/2019	09.09.2019	प्रधान महालेखाकार	बोर्ड के लेखों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट किये जाने के संबंध में
3	उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	न0वि0सं0बो0/डी0 –576/2019	24.10.2019	प्रधान महालेखाकार	बोर्ड के लेखों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट किये जाने के संबंध में
4	प्रधान महालेखाकार	का0प्र0म0ले0/एस0ए स0–/ डी0पी0सेल/चैप्टर–1 /2019–20/125	06.11.2019	उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	बोर्ड के लेखों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट किये जाने के संबंध में
5	उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	न0वि0सं0बो0/डी0 –622/2019	19.11.2019	महालेखाकार	बोर्ड के लेखों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट किये जाने के संबंध में
6	उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	न0वि0सं0बो0/डी0 –13/2020	02.01.2020	प्रधान महालेखाकार	बोर्ड के लेखों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट किये जाने के संबंध में

महालेखाकार से उक्त पत्रों/अनुस्मारकों के संदर्भ में उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

(ख)- बोर्ड के लेखों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पैनल में पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा बोर्ड के वर्ष 2018–19 के लेखों का आडिट करते हुए तुलन पत्र को प्रमाणित किया किया जा चुका है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रस्तुत आडिट प्रतिवेदन एवं तुलन पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट के **संलग्नक–2** पर में प्रस्तुत है।

8. वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2019–20 पर कृत कार्यवाही

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा 10 के खण्ड (झ) तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन और इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के नियम 19 के अधीन बोर्ड की कार्ययोजना वर्ष 2018–19, नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1064(1)/नौ–9–2019–45ज/17टीसी, दिनांक 30 अगस्त, 2019 द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित की गई। उक्त कार्ययोजना पर कृत कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है–

(1)– वर्ष 2019–20 में प्रदेश की निम्नलिखित नगरीय निकायों की वित्तीय क्षमता की समीक्षा, राजस्व संसाधनों की क्षमता निर्धारण के दृष्टिगत ऑकड़ें एकत्र किए गए तथा उनके कर एवं करेतर

आय और उपलब्ध संसाधनों और सम्भावनाओं के आधार पर उनकी वित्तीय क्षमता के आकलन की कार्यवाही की जा रही है–

नगर निगम– (1) आगरा, (2) प्रयागराज, (3) बरेली, (4)वाराणसी, (5) फिरोजाबाद ।

नगरपालिका परिषद्–(1)बिल्सी, (2)बिसौली, (3)बदायूँ, (4)ककराला, (5)सहसवान, (6)ऊँझानी और (7)दातागंज जनपद– बदायूँ, (8)अलीगंज, (9)जलेसर, (10)मारहरा और (11)एटा जनपद– एटा (12)फर्रूखाबाद और (13)कायमगंज जनपद– फर्रूखाबाद (14)जौनपुर, (15)मुँगरा बादशाहपुर और (16)शाहगंज जनपद– जौनपुर (17)अहरौरा, (18)चुनार और (19) मीरजापुर जनपद– मीरजापुर (20)रामनगर जनपद– वाराणसी ।

नगर पंचायत–(1)औरंगाबाद, (2)भवनबहादुरनगर, (3)बुगरासी, (4)छतारी, (5)खानपुर, (6)नरौरा, (7)पहासू और (8)ककोड़ जनपद– बुलन्दशहर, (9)बाबूगढ़ जनपद– हापुड़, (10)बड़हलगंज, (11)बांसगॉव, (12)गोलाबाजार, (13)मुण्डेराबाजार, (14)पीपीगंज, (15)पिपराइच, (16)सहजनवां और (17)कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल जनपद– गोरखपुर, (18)आनन्दनगर, (19)घुघुली, (20)निचलौल, (21)सिसवाबाजार और (22)सौनौली जनपद– महराजगंज, (23)कप्तानगंज, (24)खड्डा, (25)रामकोला और (26)सेवरहीं जनपद– कुशीनगर, (27)भटनीबाजार, (28)भाटपाररानी, (29)गौरीबाजार, (30)लार, (31)मझौलीराज, (32)रामपुरकारखाना, (33)रूद्रपुर, (34)सलेमपुर और (35)बरियारपुर जनपद–देवरिया, (36)गंगापुर, जनपद– वाराणसी, (37)चकिया, (38)चन्दौली और (39)सैयदराजा जनपद–चन्दौली (40)जफराबाद, (41)केराकत, (42)खेतासराय, (43)मछलीशहर, (44)मड़ियाहूँ और (45)बदलापुर जनपद– जौनपुर और (46)बहादुरगंज, (47)दिलदारनगर, (48)जंगीपुर, (49)सादात और (50)सैदपुर जनपद– गाजीपुर ।

(2)– प्रदेश की नगरीय निकायों की निजी स्वामित्व अथवा प्रबन्धन की सम्पत्तियों का विवरण नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (एन0आई0सी0) के माध्यम से तैयार कराए गए साफ्टवेयर में फीड कराए जा रहे हैं। दिनांक 31.03.2020 तक 540 नगरीय निकायों से सम्बन्धित ऑकड़े फीड कराए जा चुके हैं। नगरीय निकायों से अवशेष ऑकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।

(3)– शासनादेश संख्या– 367/नौ–9–2018–45ज/2017 टी0सी0, दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में प्रदेश की 06 नगर पालिका परिषदों तथा 36 नगर पंचायतों, जिनमें गृहकर का अधिरोपण नहीं किया गया था, में गृहकर निर्धारण सुनिश्चित कराने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त में से 24 नगरीय निकायों में गृहकर अधिरोपण की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है, 14 नगरीय निकायों में गृहकर अधिरोपण के लिए उपविधियों को अंतिम रूप प्रदान कर गजट नोटीफिकेशन के लिए भेजा गया है, 04 नगरीय निकायों में उपविधियों का प्रारूप नगर निकाय बोर्ड के समक्ष रखा जाना है। इन निकायों का बोर्ड स्तर से अनुश्रवण की कार्यवाही की जा रही है।

(4)– उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 और तदधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(5)– प्रदेश की नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के उपायों के प्रति जागरूक बनाने, सम्पत्ति कर एवं अन्य करों का पारदर्शी तरीके से निर्धारण, करेतर मदों, प्रयोक्ता प्रभारों, लाइसेंस शुल्क आदि के अधिरोपण, संग्रहण और आच्छादन बढ़ाने, निकायों की सम्पत्तियों एवं अन्य अभिलेखों का डिजिटलाईजेशन, ऑनलाइन स्वकर निर्धारण जैसे अनेक विषयों को सम्यक् रूप से परिचित कराने

के उद्देश्य से आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, कानपुर मण्डलों में कार्यशालाएँ/बैठकें आयोजित की गई।

(6)– नगरीय निकायों में सम्पत्तियों का चिन्हांकन, सर्वेक्षण मूल्यांकन और वार्षिक मूल्य के निर्धारण में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने, स्वकर निर्धारण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देने और अन्य करों और करेतर मदों में प्रभावी वसूली के संबंध में फिरोजाबाद, आगरा, हरदोई, बरेली, पीलीभीत, बाँदा, चित्रकूट, फतेहपुर, बिजनौर, शामली, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, सीतापुर, जालौन, ललितपुर, झाँसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रूखाबाद, शाहजहाँपुर, लखनऊ, रायबरेली, संत कबीरनगर, अम्बेडकर नगर , कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बुलन्दशहर, वाराणसी, जौनपुर, बहराइच, एवं बागपत जनपदों की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठकें/कार्यशालाएँ सम्पन्न की गई।

(7)– केन्द्र सरकार की सम्पत्तियों पर सम्पत्ति–कर के स्थान पर सेवा प्रभार (सर्विस चार्ज) वसूलने के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही समस्त, आंशिक और कोई भी सेवा का उपयोग न करने वाले भारत सरकार के विभागों द्वारा सम्पत्ति कर का क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और $33^{1/3}$ प्रतिशत सेवा प्रभार सम्बन्धित निकाय को दिए जाने का उल्लेख है। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश, मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के पत्रों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के अनुरूप केन्द्र सरकार के भवनों से सेवा प्रभार वसूले जाने हेतु समस्त नगरीय निकायों को पत्र संख्या–न0वि0सं0बो0/डी–433/2017, दिनांक 01 जुलाई, 2017, न0वि0सं0बो0 /डी–314/2019, दिनांक 10 जून, 2019, न0वि0सं0बो0/डी–441/2019, दिनांक 08 अगस्त, 2019 और प्रदेश के नगर निगमों के नगर आयुक्तों को अर्धशासकीय पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2019 प्रेषित कर विधिक वस्तुस्थिति तथा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्गत शासनादेशों से अवगत कराया गया। विभिन्न नगर निगमों में केन्द्र सरकार के भवनों देय सेवा प्रभार का विवरण भी संकलित किया जा रहा है। प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों, भारत सरकार और राज्य सरकार के शासनादेशों का संकलन भी प्रकाशित कराया जा रहा है ताकि नगरीय निकायों तथा अन्य सम्बन्धित विभागों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके और केन्द्र सरकार के भवनों से सेवा प्रभार की वसूली सुनिश्चित हो सके।

(8)– सम्पत्तिकर के विवादों को न्याय निर्णीत करने की प्रक्रिया और क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा– 37 के अधीन विनियमावली बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

9. बोर्ड द्वारा सम्पन्न अन्य कृत्यों का विवरण

(1)– रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, लखनऊ, रामकृष्ण मठ एवं आर्य प्रतिनिधि सभा संस्था, उ0प्र0, लखनऊ को गृहकर/जलकर व सीवर कर में छूट दिए जाने/मुक्त किए जाने के संबंध में शासनादेशों व नियमों के अधीन परीक्षण आख्या दिनांक 19.07.2019 शासन को प्रस्तुत की गई।

(2)– राजस्व निरीक्षक, कर अधीक्षक, कर निर्धारण अधिकारियों एवं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्य आवंटन सम्बन्धी निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2019 के

क्रम में उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित राजस्व सेवा में उल्लिखित पद धारकों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के विवरण का प्रारूप दिनांक 09.09.2019 को भेजा गया।

(3)– वर्ष 2021 की जनगणना के दृष्टिगत भारत के रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2019, के क्रम में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकायों के सीमा में बदलाव न करने विषयक पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया। प्रदेश के 42 ऐसे नये नगरों जिनकी अनन्तिम अधिसूचना जारी की गई है और 17 ऐसे नगरों जिनके सीमा विस्तार की अनन्तिम अधिसूचना जारी की गई है, के मामले का परीक्षण करते हुए समुचित निस्तारण हेतु अवगत कराये जाने सम्बन्धी निदेशक, जनगणना कार्य के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 के क्रम में बोर्ड द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की सीमा विस्तार और प्रस्तावित नगरीय निकायों के गठन से सम्बन्धित अंतिम अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 से पूर्व जारी करने की संस्तुति दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को की गई। इस संस्तुति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2019 से पूर्व 56 नगर पंचायतों के गठन और 24 नगरीय निकायों की सीमा विस्तार की अधिसूचनायें अंतिम रूप से और 21 नगरीय निकायों के गठन के संबंध में अनन्तिम अधिसूचनायें जारी की गई।

(4)– आनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओ0बी0पी0ए0एस0) की प्रणाली हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र समयबद्ध रूप से जारी किए जाने के प्रकरण में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अधीन परीक्षणोपरान्त आख्या/टिप्पणी शासन को दिनांक 25.11.2019 को उपलब्ध कराई गई।

(5)– शासन के पत्र दिनांक 02.12.2019 के सन्दर्भ में उ0प्र0 नगर निगम (संशोधन) विधेयक में सम्मिलित किए जाने वाले बिन्दुओं पर टिप्पणी दिनांक 06.12.2019 को प्रेषित की गई।

(6)– उ0प्र0 नगर पालिका (भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2019 के संबंध में सुझाव पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 और 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रेषित किए गये तथा प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर बिन्दुवार टिप्पणी दिनांक 20 फरवरी, 2020 को शासन को उपलब्ध कराई गई।

(7)– प्रदेश के विकलांगजनों को जल कर के साथ सीवर कर की भी छूट प्रदान किए जाने के संबंध में अभिमत प्राप्त करने विषयक शासन के पत्र संख्या वी0आई0पी0–5/नौ–9–2020–24/20 दिनांक 04 फरवरी, 2020 के क्रम में टिप्पणी दिनांक 20 फरवरी, 2020 को शासन को उपलब्ध कराई गई।

(8)– उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्य योजना सरकारी गजट में प्रकाशित कराने हेतु दिनांक 20.02.2020 को भेजी गई।

(9)– नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी द्वारा मासिक किराया दर निर्धारण के संबंध में विचारोपरान्त शासन को दिनांक 20.02.2020 को इस आशय की संस्तुति प्रेषित की गई कि सम्पत्तियों के मूल्यांकन और कर निर्धारण के निमित्त अपेक्षित मासिक किराया दर का निर्धारण यथाविधि नगर आयुक्त स्वयं निर्धारित करें। निश्चित समयावधि में पुनरीक्षण न करने पर नगर आयुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। नगर पालिका परिषदों के प्रकरण में भी शासन स्तर से सभी अधिशासी अधिकारियों को सम्पत्तियों

के मूल्यांकन और कर निर्धारण के निमित्त अपेक्षित मासिक किराया दर प्रति दो वर्ष में यथाविधि पुनरीक्षित करने हेतु शासन द्वारा निर्देशित कर दिया जाय।

(10)– नगर निगम, कानपुर में गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के बकाया भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत सरचार्ज की छूट दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड को अभिमत दिनांक 22.08.2019 को शासन को उपलब्ध कराया गया। पुनः विषयगत प्रकरण पर नगर निगम, कानपुर के पुनर्विचार सम्बन्धी पत्र के सन्दर्भ में शासन की अपेक्षानुसार टिप्पणी दिनांक 27.02.2020 को प्रेषित की गई।

(11)– उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया कलापों की वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी गई।

10. अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ/कृत्य

(1) भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को वाराणसी में प्रदेश के नगरीय निकायों का वित्तीय परिदृश्य, नगरीय अवस्थापना विकास की चुनौतियाँ, डिफीसिएन्सी फैक्टर और मानक के अनुरूप महत्वपूर्ण नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित परिव्यय के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

(2) प्रदेश की नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों में विभिन्न संवर्गों के गठन, अपेक्षित जनशक्ति, कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता आदि का मानक नियत करने के दृष्टिगत श्री अतुल गुप्ता, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष भी सदस्य हैं, में सार्थक विचार विमर्श हेतु विस्तृत सूचनाएँ, ऑकड़े और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किए गये और संस्तुतियों को अन्तिम रूप प्रदान करने में सक्रिय योगदान दिया गया।

(3) नगरीय शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तावित प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों और अधिकारियों को उपयोगार्थ आधार भूत और अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विरचन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है।

(4) भारत सरकार के मॉडल म्युनिसिपल लॉ के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में प्रवृत्त अधिनियमों क्रमशः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 को एकीकृत करने के संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है।

(5) सम्पत्ति कर मूल्यांकन में भवनों के सर्वेक्षण और शत प्रतिशत कराच्छादन सुनिश्चित करने में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) बहुत महत्वपूर्ण है। नगरीय निकायों द्वारा एजेन्सियों के माध्यम से जी.आई.एस. का कार्य कराया जाता है। नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जी.आई.एस. के बारे में सामान्य जानकारी न होने से एतद् सम्बन्धी ऑकड़ों के रखरखाव, उनके उपयोग और नियमित अद्यतनीकरण नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप जी.आई.एस. अनुपयोगी हो जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरल हिन्दी भाषा में रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन सेन्टर के सहयोग से जी.आई.एस. के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित कराने का कार्य प्रगति पर है।

संलग्नक–1

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की बैठकें।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बोर्ड की 08 बैठकें सम्पन्न हुईं। बोर्ड की उक्त बैठकों में लिए गए निर्णयों का सारांश निम्नवत् है :

(1) 24वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2019

1. उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की विनियमावली के सृजन के सम्बन्ध में विनियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए डा0 राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय तथा विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया :

(क) दोनो संस्थाओं के लिए समान शर्तो के साथ टर्म्स आफ रेफरेन्स तैयार कर संस्थाओं की सहमति प्राप्त करते हुए मा0 अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रभावी किया जाए।

(ख) मानदेय के रूप में प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रू0 100000/– तथा रिसर्च एसोसिएट को रू0 60000/– का एकमुश्त मानदेय का भुगतान विनियमावली का ड्राफ्ट प्राप्त होने के उपरान्त किया जाएगा।

(ग) दोनो संस्थाओं को विनियमावली निर्माण हेतु एक एक लैपटाप प्रिन्टर सहित बोर्ड द्वारा क्रय करके उपलब्ध कराया जाएगा जिसे संस्थाओं द्वारा कार्य पूरा होने के उपरान्त बोर्ड कार्यालय को वापस कर दिया जाएगा।

(घ) प्रासंगिक व्यय अधिकतम रू0 50000/– की सीमा तक अनुमन्य किया जाएगा। प्रारम्भिक रूप से रू0 20000/– का अग्रिम संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड़) सम्बन्धित प्रोजेक्ट डायरेक्टर/रिसर्च एसोसिएट द्वारा विनियमावली तैयार करने के सम्बन्ध में यात्राएं मा0 अध्यक्ष की स्वीकृति से की जायेंगी तथा राज्य सरकार के नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुमोदित यात्रा के लिए यात्रा व्यय तथा टैक्सी पर होने वाले व्यय के लिए मा0 अध्यक्ष द्वारा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा। जहॉ हवाई यात्रा किया जाना आवश्यक हो, हवाई यात्रा हेतु टिकट प्रोजेक्ट डायरेक्टर/रिसर्च एसोसिएट द्वारा स्वयं क्रय किए जा सकेगें अथवा उनके अनुरोध पर हवाई यात्रा हेतु टिकट बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा। विनियमावली का निर्माण विनिर्दिष्ट समय सीमा में पूरा किया जाना है, अतः प्रदेश से बाहर की यात्राओं के लिए रिसर्च एसोसिएट को भी वायुयान से यात्रा अनुमन्य होगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा रिसर्च एसोसिएट द्वारा हवाई यात्राएं सामान्य श्रेणी में मा0 अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से की जा सकेगीं। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर यात्रा भत्ता बिल बोर्ड कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(च) प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उनके स्वयं तथा रिसर्च एसोसिएट को अनुमन्य मानदेय, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों से संबंधित भुगतान आर.टी.जी.एस. अथवा चेक द्वारा संस्था के रजिस्ट्रार अथवा विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर उनके संसूचित एवं अधिकृत खाते में किया जायेगा।

(छ) डा0 राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की ओर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा0 वी0 विशालाक्षी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा0 वरूण छाछर अपने साथ काम करने के लिए सुयोग्य रिसर्च एसोसिएट को रजिस्ट्रार अथवा विभागाध्यक्ष की सहमति से सम्बद्ध कर सकेंगे।

(ज) विनियमावली के आलेख्य की प्रगति के संबंध में संबंधित संस्थाओं द्वारा मासिक रूप से बोर्ड को अवगत कराया जायेगा तथा 04 महीने के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

अन्य आवश्यक शर्तों को सम्मिलित करने तथा समय–समय पर आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु यथोचित निर्णय लेने के लिए बोर्ड द्वारा मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

2. बोर्ड के वाहनों का नम्बर प्लेट, जो पूर्व में बदल जाने के कारण त्रुटिपूर्ण हो गया था, के सम्बन्ध में त्रुटि के सुधार हेतु की गई कार्यवाही एवं दिनांक 18.03.2019 को समाप्त हो रहे बीमा का नवीकरण समय से कराए जाने की स्थिति से बोर्ड अवगत हुए तथा निर्देशित किया कि पूर्व में बोर्ड के वाहनों पर गलत नम्बर प्लेट लगने की स्थिति का अंकन सम्बन्धित वाहनों की लागबुकों पर कर दिया जाए ताकि भविष्य में लागबुकों का निरीक्षण करते समय गलतफहमी न हो। यह भी निर्णय लिया गया कि 01 अप्रैल, 2019 से बोर्ड के सभी वाहनों के लिए नई लागबुकें अनुरक्षित की जायें।

3. बोर्ड ने संज्ञान में लिया कि नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र परिसर केन्द्रीयित रूप से वातानुकूलित है और कतिपय कक्षों में यथावश्यक एयरकन्डीशनर भी लगे हुए हैं। नए परिसर में प्रोजेक्टर सिस्टम भी उपलब्ध है और जहॉ आवश्यक है दीवाल पंखे अथवा छत वाले पंखे लगाए गए हैं। अतः पर्यटन भवन, जहॉ पूर्व में बोर्ड कार्यालय स्थापित था, में लगे बोर्ड के एयरकन्डीशनरों, दीवाल पंखों तथा प्रोजेक्टर को डिस्मेन्टल कर नए परिसर में स्थानान्तरित किया जाना उपयोगी नहीं पाया गया। वर्णित परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यूपिडा से कहा जा सकता है कि समिति की संस्तुति दिनांक 27.11.2018 के अनुसार 13 एयरकन्डीशनरों, एक प्रोजेक्टर सिस्टम तथा 17 वाल फैन के ह्रासित मूल्य रू0 826325/– मात्र का भुगतान बोर्ड के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर दिया जाए।

4. बोर्ड कार्यालय में संविदा के आधार पर नवनियुक्त श्री आलोक, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 तथा श्री के0एल0 गेहानी एवं श्री दुर्वेश कुमार, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के वेतन भत्तों के निर्धारण को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

5. बोर्ड कार्यालय के लेखों के आडिट कराए जाने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को आबद्ध किए जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा वस्तुस्थिति पर विचार करते हुए यह पाया गया कि पांच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों, जिनसे रूचि प्रकटन का प्रस्ताव मांगा गया था, में से केवल तीन फर्मो से प्रस्ताव प्राप्त हुए। उक्त में से भी एक फर्म एवरेज प्रोफेशनल रिसीट निर्धारित रू0 बीस लाख से कम होने के कारण तकनीकी निविदा में अनर्ह पाई गई और इस प्रकार केवल दो ही प्रस्ताव विचारार्थ रह गए। अतः विचारोपरान्त बोर्ड ने निर्णय लिया कि संतोषजनक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने की दृष्टि से गत तीन वर्षों की एवरेज प्रोफेशनल रिसीट को वर्तमान रू0 20,00000/– लाख से घटाकर रू0 10,00,000/– करते हुए पुनः रूचि प्रकटन के प्रस्ताव प्राप्त किए जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड कार्यालय में एकाउन्टेन्ट कार्यरत हैं अतः एकाउन्टेन्ट की सेवाओं के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों से रूचि प्रकटन प्रस्ताव में अलग से दरें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार बोर्ड द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक में पंजीकृत फर्मों से पुनः रूचि प्रकटन का प्रस्ताव मांगे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्य योजना एवं अर्थ संकल्प का आलेख्य तथा वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना के सापेक्ष कृत कार्यवाही को सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्ययोजना और अर्थसंकल्प वर्ष 2019–20 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन हेतु तथा वर्ष 2018–19 के कार्ययोजना के सापेक्ष कृत कार्यवाही की सूचना विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु शासन को प्रेषित कर दिया जाए।

7. बोर्ड ने संज्ञान में लिया कि श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2019 द्वारा व्यक्तिगत कारणों से बोर्ड कार्यालय में कार्य करने का इच्छुक नहीं होने की बात लिखते हुए नियमानुसार अर्थ एवं संख्या अधिकारी के पद से दिनांक 08 मई, 2019 से कार्यमुक्त होने हेतु एक माह की नोटिस दी है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत उनकी सेवा शर्तों के अनुसार ''पदधारक भी बोर्ड को एक माह की नोटिस देकर अथवा उसके बदले एक माह के वेतन/परिलब्धियों के समतुल्य धनराशि का भुगतान करते हुए किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है'', उक्त पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा श्री श्रीवास्तव के प्रार्थना पत्र/नोटिस दिनांक 09.4.2019 को स्वीकार करते हुए उन्हें दिनांक 08 मई, 2019 से बोर्ड में संविदा सेवा से कार्यमुक्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. एन0आई0सी0 के माध्यम से नगरीय निकायों में निहित सम्पत्तियों हेतु साफ्टवेयर एवं डाटाबेस तैयार कराए जाने के लिए एक सहायक प्रोग्रामर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा 23वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी,

2019 में लिए गए निर्णय के क्रम में एन0आई0सी0 को उनसे प्राप्त बिल, जो रू0 27703.99 जी0एस0टी0 अतिरिक्त है, को भुगतान किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

9. रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, लखनऊ के साथ रामकृष्ण मठ के गृहकर/जलकर एवं सीवरकर में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में नगर निगम, लखनऊ से सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति पर टिप्पणी/आख्या प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

(2) 25वीं बैठक दिनांक 05 जुलाई, 2019

1. वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में श्री गिरिजाशंकर पाण्डेय के शिकायती पत्र दिनांक 15.02.2019 को अनुदेशक, आई0आई0टी0, अलीगंज की आख्या दिनांक 03.04.2019, चयन समिति की आख्या दिनांक 30.04.2019 तथा सचिव की आख्या दिनांक 13.06.2019 का अनुशीलन करते हुए निक्षेपित करने का निर्णय लिया।

2. नियमों के अनुरूप सचिव को प्राप्त अग्रिम की धनराशि को सुरक्षित रखने, व्यय हेतु उपलब्ध कराने तथा समायोजन हेतु अभिलेख सुरक्षित रखते हुए ससमय समायोजन कराने हेतु सचिव को वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 श्री दुर्वेश कुमार की सहायता लिए जाने विषयक कृत कार्यवाही से बोर्ड संसूचित हुए।

3. गुण – दोष के आधार पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा देना बैंक (अब बैंक आफ बड़ौदा) में खुले बोर्ड के खाते का स्वरूप शुद्ध रूप से बचत बैंक खाता का ही रखे जाने और उसे स्वीप एकाउन्ट से आच्छादित न किए जाने हेतु निर्णय लिया गया।

4. बोर्ड के उपयोगार्थ नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में आवंटित स्थल के लिए भवन किराया मद में भुगतानित धनराशि रू0 10,96884/– को विद्युत उपभोग मद में स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। निर्देशित किया गया कि स्थानीय निकाय निदेशालय से पैन नम्बर के साथ मांगपत्र होने पर नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती करते हुए कार्यालय भवन किराए का भुगतान किया जाएगा और विद्युत उपभोग के लिए प्राप्त बिलों का भुगतान करते समय पूर्व भुगतानित धनराशि रू0 1096884/– का समायोजन कर लिया जाएगा।

5. बोर्ड कार्यालय के लिए कास्ट एकाउन्टेन्ट के लिए अगले दो माह अथवा नियमित चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो,

निम्नांकित शुल्क के आधार पर श्री जय सिंह, कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
01	जी0एस0टी0 / आयकर रिटर्न(टी0डी0एस0) का मासिक रिटर्न दाखिल किये जाने का शुल्क	रू0 2000 / – प्रतिमाह
02	फार्म 16–ए के लिए शुल्क	रू0 100 / – प्रति फार्म
03	जी0एस0टी0 / टी0डी0एस0 सार्टिफिकेट के लिए शुल्क	रू0 100 / – प्रति सर्टिफिकेट
04	प्राप्तियों के अपलोडिंग हेतु 25 प्रविष्टियों तक शुल्क	रू0 3000 / – प्रति तिमाही

6. श्री अशोक कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी को बोर्ड के पत्र संख्या : न0वि0सं0बो0 / डी–315 / 2019, दिनांक 10 जून, 2019 द्वारा कृत कार्य आवंटन तथा कार्यालय आदेश संख्याः न0वि0सं0बो0 / डी–322 / 2019, दिनांक 17 जून, 2019 द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार सौंपे जाने से बोर्ड अवगत हुए।

7. बोर्ड कार्यालय में योगदान की तिथि दिनांक 31.05.2019 (पूर्वान्ह) को प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी का मासिक वेतन उक्त तिथि से एजेण्डा नोट में प्रस्तावित दरों पर निर्धारित किये जाने हेतु बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया ।

श्री अशोक कुमार को नियमानुसार मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत दरों पर तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता प्रतिनियियुक्ति की शर्ते प्राप्त होने पर तदनुसार किया जायेगा।

8. बोर्ड की 13वीं बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के कार्यवृत्त, जिसके साथ वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन का विवरण भी संलग्न है, के सन्दर्भ में बोर्ड ने बल दिया कि प्रतिनिहित अधिकारों के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृतियॉ / व्यय की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जाय। बोर्ड ने निर्देशित किया कि आवर्तक व्यय, जैसे वेतन भत्तों का आहरण, आउटसोर्सिंग स्टाफ के पारिश्रमिक का आहरण, किराये के वाहन का मासिक भुगतान, कार्यालय भवन के किराये का भुगतान, जिसकी स्वीकृति सक्षम स्तर से एक बार कर दी जाय, उनका आहरण एवं भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा वित्त विशेषज्ञ के स्तर से पूर्ववत् किया जायगा। किन्तु दरों में परिवर्तन होने पर सक्षम स्तर से पुनः स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों की सीमा के सम्बन्ध में जो अन्य आदेश जारी होगें, उन्हें भी अनुपालनार्थ संज्ञान में लिया जायेगा।

9. बोर्ड द्वारा ''क्रिया–कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018–19'' के ड्राफ्ट का अनुशीलन करते हुए उसे अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि उसकी 1200 प्रतियॉ मुद्रित कराकर शासन को निर्धारित संख्या में समय से प्रेषित किया जाय।

10. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में की गयी अभ्युक्तियों की अनुपालन आख्या का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया कि प्रधान महालेखाकार (जी –एसएसए), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से पुनः बोर्ड के लेखों के स्टेच्युटरी आडिट हेतु अनुरोध कर लिया जाय तथा शासन को भी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाय।

11. वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में माह जुलाई, 2020 तक के सम्भावित व्यय को संज्ञान में लेते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए शासन से सहायता अनुदान के रूप में वेतन मद में स्वीकृत रू0 176.08 लाख में से 167.00 लाख तथा गैर वेतन मद में स्वीकृत रू0 300.00 लाख में से 130.00 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से समर्पण की धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड की अक्टूबर या नवम्बर, 2019 में होने वाली बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

12. वर्ष 2019–20 के लेखों की आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा वार्षिक लेखा प्रमाणित करने एवं आयकर तथा जी0एस0टी0 के प्राविधानों का विधिसम्मत अनुपालन और प्रोफेशनल सेवायें प्रदान करने हेतु रू0 44,000 (कर अतिरिक्त) का न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म मेसर्स ओम रस्तोगी एण्ड कम्पनी को अनुबन्धित किये जाने एवं दिनांक 14.06.2019 को बोर्ड की ओर से श्री कृष्ण गोपाल, वित्त विशेषज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की ओर से श्री ओम रस्तोगी द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए बोर्ड ने कृत कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया ।

13. बोर्ड ने वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के स्वीकृत 4 पदों में से रिक्त 2 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व यह अपेक्षा की कि शासनादेश संख्याः 9/4/2/15/का–2/2015, दिनांक 28 अगस्त, 2015 के क्रम में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में भी सम्यक् जानकारी कर लें ताकि उक्त पदों को भरे जाने में आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में बोर्ड अपना मत स्थिर कर सके।

14. बोर्ड ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि फिक्सचर, फर्नीचर तथा उपकरणों को यूपिडा को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप उक्त संस्था से प्राप्त धनराशि रू0 2705639/– (रू0 सत्ताइस लाख पांच हजार छः सौ उनतालिस मात्र) को राजकोष में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर दिया जाय। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 के लेखों की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त अर्जित ब्याज की धनराशि की पुष्टि होने के बाद बैंक के बचत खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को भी ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया जाय।

15. बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह उपयुक्त पाया गया कि प्रदेश के बाहर अध्ययन, शोध अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यो हेतु भ्रमण पर जाने पर लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डा0 वरूण छाछर अथवा राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की डा0 वी0 विशालाक्षी को आवश्यक स्थानीय यात्रा हेतु प्वाइंट टु प्वाइंट ए0सी0 टैक्सी अथवा ओला या उबर के माध्यम से टैक्सी पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बिना सीमा के की जानी चाहिए। तदनुसार प्रदेश के बाहर डा0 वरूण छाछर तथा प्रोफेसर वी0 विशालाक्षी द्वारा यात्रा करने की स्थिति में प्वाइंट टु प्वाइंट टैक्सी पर हुए व्यय अथवा ओला या उबर के माध्यम से टैक्सी पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति बिना सीमा के स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। प्रदेश के अंदर भी लखनऊ से बाहर स्थानीय निकायों का अध्ययन करने जाने अथवा प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श करने जाने हेतु भी बोर्ड द्वारा टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराये जाने अथवा टैक्सी/वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु मा0 अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया।

16. बोर्ड द्वारा गृहकर, जलकर व सीवरकर में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट मे यथाप्रस्तावित आख्या को शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

17. जलकल एवं जलशुल्क को उत्पादन लागत के आधार पर पुनरीक्षित करते हुए दरों के निर्धारण हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा यह उपयुक्त पाया गया कि प्रकरण में सम्यक् विचार कर आख्या एवं संस्तुति देने हेतु जल निगम, जल संस्थान जैसी संस्थाओं के तथा अन्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक विद्वत समिति का गठन किया जाय जो सभी संगत पहलुओं पर विचार करे। उक्त विद्वत समिति से प्राप्त आख्या एवं संस्तुति पर बोर्ड द्वारा विचार करते हुए प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा जाना उपयुक्त होगा। तदनुसार बोर्ड द्वारा मा0 अध्यक्ष को विद्वत समिति के गठन हेतु अधिकृत किया गया।

18. बोर्ड की बैठक के दौरान श्री राकेश गर्ग, मा0 अध्यक्ष द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उनके यात्रा तथा अवकाश कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है। वे अब 11 सितम्बर, 2019 से 22 सितम्बर, 2019 तक (दिनांक 11 से 20 सितम्बर, 2019 तक देय अवकाश तथा 21 व 22 सितम्बर, 2019 को शनिवार एवं रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए) अवकाश पर रहना चाहेगें। वे निजी व्यय पर विदेश यात्रा पर अवकाश की अवधि में पूर्व सूचित (लुबलियाना) स्लोवेनिया, (बुडापेस्ट) हंगरी एवं (प्राग) चेक रिपब्लिक के भ्रमण के अतिरिक्त मास्को (रशियन फेडरेशन) की यात्रा पर भी जाना चाहते हैं। तदनुसार ही सपत्नीक निजी भ्रमण की अनुमति देने व अवकाश दिये जाने का उनके द्वारा अनुरोध किया गया। बोर्ड ने सम्यक् विचारोपरान्त श्री राकेश गर्ग, मा0 अध्यक्ष के अनुरोध पर विचार करते हुए उन्हें दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से 22 सितम्बर, 2019 तक (दिनांक 11 से 20 सितम्बर, 2019 तक देय अवकाश तथा 21 व 22 सितम्बर, 2019 को शनिवार एवं रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए) अवकाश पर रहने एवं निजी व्यय पर उक्तवत् विदेश यात्रा पर जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि श्री राकेश गर्ग, मा0 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड कार्यालय में तत्समय वरिष्ठतम सदस्य, श्री शंकर सिंह अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वाह करेगें।

19. श्री गजेन्द्र कुमार, कर निर्धारण अधिकारी, जिन्होंने बोर्ड कार्यालय में दिनांक 05.07.2019 को निजी अनुरोध पर कर निर्धारण अधिकारी, बस्ती के पद से स्थानान्तरित होते हुए कार्यभार ग्रहण किया, का वेतन निर्धारण उनकी सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाणक के आधार पर निर्धारित किये जाने पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

श्री गजेन्द्र कुमार को बोर्ड कार्यालय में उनकी नियुक्ति की अवधि में समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होगा। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त श्री गजेन्द्र कुमार को दिनांक 04.07.2019 को 01 दिन का कार्यभार ग्रहण काल स्वीकृत किया गया जिसके लिए उन्हें बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(3) 26वीं बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2019

1. बोर्ड की 17वीं बैठक दिनांक 26 जून, 2018 में लिए गए निर्णयानुसार उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के नियम–3(4) के अनुरूप सचिव के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु मा0 अध्यक्ष, जैसा कि बोर्ड की उक्त बैठक में उन्हें एतदर्थ अधिकृत किया गया है, द्वारा तदनुसार तत्कालीन सचिव सुश्री रीना सिंह की अनुपस्थिति की अवधि में श्री आर0एन0 पाल शोध अधिकारी को सचिव के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु नामित किया

जाता रहा है। सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया कि नियमित रूप से नियुक्त सचिव के पद पर अनुपस्थिति की अवधि में भी पूर्ववत् वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बोर्ड के किसी अधिकारी को सचिव के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु नाम निर्देशित करने का निर्णय मा0 अध्यक्ष द्वारा यथासमय लिया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड की बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि श्री डी0पी0 पाल, सचिव द्वारा दिनांक 18.07.2019 (अपरान्ह) को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दिनांक 19 से 26 जुलाई, 2019 के ज्वाइंनिग टाइम/अवकाश के उपभोग की अवधि में सचिव के पद का कार्य श्री आर0एन0पाल को सौंपा गया। बोर्ड ने उक्त से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया।

2. सुश्री विशालाक्षी, प्रोफेसर डा0 राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा विनियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डा0 वरूण छाछर एवं उनकी टीम द्वारा ड्राफ्ट को तैयार करने में की जा रही संतोषजनक प्रगति की वस्तुस्थिति से बोर्ड अवगत हुए। बोर्ड ने यह उपयुक्त पाया कि फिलहाल अन्य किसी विश्वविद्यालय या एजेन्सी से विनियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु सम्पर्क किया जाना वांछित नहीं है क्योंकि नये सिरे से प्रक्रिया प्रारम्भ करने में बहुत अधिक समय लगना सम्भावित है। बोर्ड ने अपेक्षा की कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डा0 छाछर से निर्धारित समय सीमा दिनांक 15 सितम्बर, 2019 तक विनियमावली का ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क बनाये रखा जाय तथा यदि आवश्यक हो, बैठक आयोजित कर ली जाय। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विनियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों से सूचना प्राप्त करने एवं प्रक्रिया का अध्ययन करने में यदि समय लगने की संभावना हो तो निर्धारित समय सीमा को विस्तारित करने हेतु मा0 अध्यक्ष अधिकृत होगें।

3. नगर निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जी0आई0एस0 (भौगोलिक सूचना प्रणाली) प्रणाली को सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से हिन्दी भाषा में रूपान्तरण संकलन/सृजित पुस्तिका का ड्राफ्ट तैयार करने के कार्य को रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0 को सौंपने तथा एतदर्थ उक्त संस्था को रू0 23,600/– की धनराशि का भुगतान किये जाने की वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए बोर्ड ने कृत कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

4. वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में जेम पोर्टल से इतर कतिपय सामग्रियों के क्रय एवं भुगतान की वस्तुस्थिति पर विचार करते हुए बोर्ड ने कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया तथा रू0 41035/– मूल्य के अवशेष भुगतान को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। बोर्ड ने सम्यक् विचारोपरान्त पाया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में जेम पोर्टल से इतर सीधे क्रय, विशेष कर स्टेशनरी

आइटमों को क्रय करने की अनिवार्यता उत्पन्न हो सकती है। अतः बोर्ड ने निर्णय लिया कि जेम पोर्टल से इतर एक माह में रू0 20,000/– की सीमा तक स्टेशनरी आइटम तथा अन्य छुटपुट वस्तुओं का क्रय सीधे बाजार से किये जाने हेतु बोर्ड के सचिव अधिकृत होगें। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अंतर्गत जिन वस्तुओं का क्रय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत विक्रेताओं, यू0 पी0 हैण्डलूम अथवा यूपिका, पंचायत उद्योग, जेल से उत्पादित वस्तुएं, जिन वस्तुओं का मूल्य सरकार ने निर्धारित किया हो तथा उ0प्र0 सरकार के उपक्रमों से किया जा सकता हो, उनका क्रय जेम से इतर किया जा सकेगा। इसी प्रकार बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विभिन्न मुद्रण कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने एवं मुद्रण के समय सूक्ष्म निरीक्षण एवं समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुद्रण कार्य भी यथावश्यक कोटेशन अथवा टेण्डर की प्रक्रिया अपनाते हुए जेम से इतर कराया जायेगा।

5. बोर्ड ने अपेक्षा की कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तुत आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के शिड्यूल ए, जो अचल आस्तियों का शेड्यूल है, का पुनरावलोकन कर लिया जाय और तदुपरान्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा बोर्ड के लेखा अभिलेखों से पुनः मिलान करते हुए आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

6. बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्थानीय पुलिस के सम्बन्धित अधिकारियों से अनुश्रवण कर गोमतीनगर थाने में दर्ज एफ0आई0आर0 दिनांक 25 मई, 2018 की विवेचना शीघ्र पूर्ण कराकर केनरा बैंक द्वारा गलत खाते में स्थानान्तरित धनराशि की वापसी हेतु प्रयास किया जाए। साथ ही बोर्ड द्वारा प्रकरण में जॉच कर आख्या एवं संस्तुतियॉ प्रस्तुत करने के लिए सुश्री रीना सिंह, तत्कालीन सचिव के स्थान पर श्री डी0पी0 पाल, सचिव को नामित किया गया। श्री आर0एन0 पाल, शोध अधिकारी पूर्ववत् जॉच समिति में बने रहेगें।

7. नगर विकास अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2614/9–चार–19–45ई/19, दिनांक 30 जुलाई, 2019 द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण सेवा के श्री दीपक यादव, मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0) , नगर निगम, कानपुर को अग्रिम आदेशों तक बोर्ड कार्यालय से सम्बद्ध किये जाने एवं श्री यादव द्वारा बोर्ड कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने एवं शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुपालन में उनके वेतन आदि का भुगतान नगर निगम, कानपुर से किये जाने की वस्तुस्थिति से बोर्ड अवगत होते हुए उनके बोर्ड कार्यालय से सम्बद्धीकरण को अनुमोदित किया ।

8. नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–टी–186/दो–2–2019, दिनांक 13 जुलाई, 2019 के अनुपालन में श्री डी0पी0 पाल द्वारा दिनांक 18.07.

2019 को उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, लखनऊ में सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए बोर्ड ने श्री डी0पी0 पाल को बोर्ड के सचिव के पद पर नियुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

9. शासन के पत्र संख्या– 1139/9–9–19– 24ज/19 दिनांक 26 जुलाई, 2019 के सन्दर्भ में नगर निगम कानपुर में गृहकर, जलकर एवं सीवर कर के बकाया भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अंतर्गत सरचार्ज की छूट दिये जाने विषयक उक्त एजेण्डा बिन्दु में विचारार्थ प्रस्तावित अभिमत को बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुशीलन करने के उपरान्त शासन को भेजे जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

10. बोर्ड द्वारा मा0 अध्यक्ष के स्थान पर सचिव, बोर्ड को जेम से क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राइमरी यूजर के रूप में नामित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) 27वीं बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2019

1. बोर्ड द्वारा श्री ओ0एन0 सिंह के अनुरोध पर उन्हें दिनांक 21.12.2019 से दिनांक 10.01.2020 तक कुल 21 दिनों का उपार्जित अवकाश निजी व्यय पर विदेश यात्रा की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

2. बोर्ड द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2018–19 के साथ संलग्न बैंक समाधान विवरण पत्रक को भी बैलेन्स शीट के शेष भाग की भांति हिन्दी में तैयार करने एवं बैंक समाधान विवरण में दी गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए शासन द्वारा गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि में से हो रही बचतों से बोर्ड के कृत्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगत जानकारी दिये जाने तथा जागरूकता लाने के लिए नगरीय निकायों में कार्यरत केन्द्रीयित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने पर बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि प्रशिक्षण हेतु कोई पद न तो सृजित किया जायेगा और न ही इस हेतु नियमित अथवा अन्य कोई नियुक्ति की जायेगी। बोर्ड कार्यालय द्वारा गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि से वहन किये जाने वाले प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु प्रशासकीय, अकादमिक एवं वित्तीय निर्णय लेने के लिए बोर्ड द्वारा मा0 अध्यक्ष में समस्त अधिकार निहित किये गये। यथा समय उक्त निर्णय बोर्ड के संज्ञान में लाये जायेंगे।

4. बोर्ड द्वारा राजस्व निरीक्षक, कर अधीक्षक, कर निर्धारण अधिकारी एवं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्य आवंटन के सम्बन्ध में एजेण्डा के संलग्नक–3 पर प्रस्तुत आलेख्य पर विचारोपरान्त निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :–

(1) नगर निगमों में उक्त अधिकारी/कर्मचारी नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के नियंत्रणाधीन और उनके द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगें और उन्हें प्रवर्तन अथवा विनियमन का मौलिक अधिकार नहीं होगा।

(2) अन्य नगर निकायों के सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारीगण अधिशासी अधिकारी के नियंत्रणाधीन उनके द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगें और उन्हें प्रवर्तन अथवा विनियमन का मौलिक अधिकार नहीं होगा।

संलग्नक 3 में प्रस्तुत आलेख्य में उक्त आशय का संशोधन करते हुए अंतिम रूप दिया जाना अनुमोदित किया गया।

5. उ0प्र0 नगरपालिका (भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2018 के विषय में बोर्ड के पत्र संख्या–न0वि0सं0बो0/डी0–372/2019, दिनांक 09.07.2019 द्वारा शासन को प्रेषित आख्या तथा आख्या प्रेषण की कार्यवाही का बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. बोर्ड में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त किये गये सचिव की अनुपस्थिति में अथवा सचिव की रिक्ति की दशा में उक्त पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के वहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के नियम–3(4) के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सचिव के पद के रिक्त होने अथवा सचिव के पदधारक की अनुपस्थिति की अवधि में निम्नवत् वैकल्पिक व्यवस्था क्रमानुसार की जायेगी :–

1. शासन द्वारा प्रतिनियुक्त सचिव की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्त होने की दशा में सचिव के पद का प्रभार प्रथमतया श्री आर0एन0 पाल, शोध अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित प्रशासनिक (प्रवर) सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, में निहित होगा।
2. शासन द्वारा प्रतिनियुक्त सचिव की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्ति तथा शोध अधिकारी श्री आर0एन0 पाल की भी अनुपस्थिति अथवा शोध अधिकारी का पद रिक्त होने पर सचिव के पद का प्रभार बोर्ड कार्यालय में तैनात अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्री अशोक कुमार में निहित होगा।
3. सचिव, शोध अधिकारी और अर्थ एवं संख्या अधिकारी – तीनों पदधारकों की अनुपस्थिति अथवा इन पदों के रिक्त होने की आपवादिक परिस्थितियों में सचिव के पद का प्रभार बोर्ड के पदेन सदस्य अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी अथवा मा0 सदस्य को सौंपे जाने के सम्बन्ध में निर्णय के लिए बोर्ड द्वारा मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(5) 28वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2019

1. बोर्ड द्वारा बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2018–19 के बैंक समाधान विवरण का अवलोकन करते हुए उक्त वर्ष के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया । अपेक्षा की गयी कि आन्तरित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति शासन तथा एक प्रति प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 (आडिट) को प्रेषित कर दी जाए। यह भी अपेक्षा की गयी कि आडिट प्रतिवेदन में की गयी अभ्युक्तियों के संदर्भ में बोर्ड की माह नवम्बर, 2019 अथवा उसके बाद होने वाली बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाए।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के व्यय अनुमानों के प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुशीलन किया गया और उसे शासन तथा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया।

3. नगरीय निकायों में निहित सम्पत्तियों हेतु साफ्टवेयर एवं डाटा बेस तैयार किये जाने के संबंध में एन0आई0सी0 के माध्यम से प्रदत्त सहायक प्रोग्रामर की सेवायें प्राप्त किये जाने की अपरिहार्यता एवं उपयोगिता के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एन0आई0सी0, जो भारत सरकार की संस्था है, के माध्यम से पूर्ववत् एक सहायक प्रोग्रामर की सेवायें 31 मार्च, 2020 तक प्राप्त की जाती रहें। उक्त सेवाओं हेतु एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित मानक दरों का अनुमोदन करने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया जिसके आधार पर बोर्ड कार्यालय द्वारा सहायक प्रोग्रामर के पारिश्रमिक का भुगतान एन0आई0सी0 को किया जाएगा।

4. आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के अन्तर्गत बोर्ड की प्राप्तियों को आयकर के दायरे से बाहर रखे जाने हेतु श्री ओम रस्तोगी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह उपयुक्त पाया गया कि बोर्ड की प्राप्तियों को आयकर के दायरे से बाहर रखे जाने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए मेसर्स ओम रस्तोगी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। उक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं अपनी ओर से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जाएगा और इस हेतु उन्हें रू0 29420/– (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) का भुगतान उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी से प्राप्त शुल्क के सम्बन्ध में उनके कथन की पुष्टि करते हुए तथा धारा 12 ए के अन्तर्गत छूट मिलने के उपरान्त किया जाएगा।

5. बोर्ड ने सम्यक् विचारोपरान्त यह उपयुक्त पाया कि बोर्ड कार्यालय में सृजित वरिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक/लिपिक तथा संख्या सहायक के आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों के पारिश्रमिक की दरों

में तर्कसंगत संशोधन किए जाने हेतु स्वतः स्पष्ट एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जाय। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यथानिर्देशित उक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात होने वाले अभ्यर्थियों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है।

6. बोर्ड द्वारा श्री दीपक श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक को रविवार दिनांक 25.08.19 का वेतन इन्हें ज्वाइंनिंग पीरियड के रूप में तथा उसके उपरान्त बोर्ड कार्यालय में योगदान के फलस्वरूप इनका वेतन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 26.8.2019 से अंतरिम रूप से निर्धारित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

श्री दीपक श्रीवास्तव को नियमानुसार बोर्ड कार्यालय में कार्यावधि में वार्षिक वेतनवृद्धि तथा शासन द्वारा समय–समय पर अनुमन्य दरों पर भत्ते दिये जाएंगे। यह अपेक्षा की गयी कि श्री दीपक की प्रतिनियुक्ति की शर्तो को जारी करने के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय को संदर्भ शीघ्र भेजा जाय। प्रतिनियुक्ति भत्ते तथा वेतन निर्धारण के संबंध में अंतिम निर्णय इनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तें प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।

7. बोर्ड कार्यालय में मुख्य अभियन्ता के बैठने के लिए हाल में एक अतिरिक्त केबिन बनाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम के कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ से प्राप्त प्रस्ताव एवं उस पर मुख्य अभियन्ता द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत की गयी आख्या पर विचार करते हुए बोर्ड ने जी0एस0टी0, सेन्टेज तथा लेबर सेस सहित कुल रू0 2.45 लाख की लागत से केबिन निर्माण का कार्य कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की। कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ से अपेक्षा की जायेगी कि वे केबिन का निर्माण मानकों के अनुसार कार्यादेश मिलने के एक माह के अन्दर पूरा करेगें।

8. उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 के अधीन प्रकाशित की गयी उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 के नियम 4 (क) में सम्मिलित किये जाने से रह गए ''अन्य प्रतिष्ठान, कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) को सम्मिलित किए जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही इसमें निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी रखे जायें, क्योंकि पहले यह इस श्रेणी में थे परन्तु प्रस्तावित श्रेणी में नहीं हैं। इस श्रेणी–1 में विद्यमान होटल, तीन सितारा तक के होटल, निजी होटल को अनुसूची की श्रेणी–6 में प्रस्तावित करते हुए उसके बिन्दु (1) में रेस्टोरेन्ट, स्टार रहित होटल एवं 1 सितारा होटल, 2 सितारा होटल तथा लॉज रखते हुए गुणांक उपनियम (1) के अधीन नियत दर पर चार

गुना या पर्यटन नीति के अनुसार, जो भी कम हो, से संबंधित संस्तुति जो बोर्ड द्वारा पूर्व में की गई थी, भी उपरोक्त नियमावली 2000 के नियम 4(क) में सम्मिलित होने से छूट गई है। अतः विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं को भी उ0प्र0 नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 के नियम 4(क) में जोड़ने हेतु शासन को सम्यक् प्रस्ताव पत्र के माध्यम से भेजा जाय।

9. उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत केन्द्रीयित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं, जैसे विषयवस्तु, समय, वार्ताकार, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं, प्रशिक्षण के उपरान्त परीक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु उत्प्रेरक (मोटीवेशन) पर विस्तृत चर्चा की गई। यह मत व्यक्त किया गया कि सीधी भर्ती के अधिकारियों को राज्य सरकार के अधीन अन्य सीधी भर्ती के अधिकारियों की भॉति पर्याप्त अवधि का आधारभूत (फाउन्डेशन) एवं प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जाना उनकी कार्यक्षमता में वांछित अभिवृद्धि और शासन की नीतियों, सिद्धान्तों एवं नियमों के अनुसार नगर निकायों में कार्य करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनिवार्य है। बोर्ड ने संज्ञान में लिया कि उ0प्र0 सिविल कार्यकारी सेवा, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा, उ0प्र0 व्यापार कर सेवा तथा राज्य सेवा के अन्य अधिकारियों को सेवा में नई भर्ती के प्रारम्भिक वर्षो में ही 08 माह से 12 माह तक का प्रशिक्षण, जिसमें आधारभूत, प्रोफेशनल तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्मिलित है, दिया जाता है। इन अधिकारियों के लिए समय–समय पर रेफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों के फलस्वरूप ही राज्य सेवा के अधिकारीगण प्रारम्भ से ही अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम एवं कुशल बन पाते हैं।

नगर निकायों का कार्य आम जनता की रोजमर्रा की जिन्दगी से बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। नगर निकायों के केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों, जो विज्ञान, कला, कामर्स एवं अन्य शाखाओं के किन्हीं विषयों में स्नातक अथवा परास्नातक परीक्षायें पास कर सेवा में भर्ती किये जाते हैं, उन्हें नगरीय निकायों में सेवा देने हेतु आवश्यक प्रोफेशनल तथा व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। इन अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा के प्रारम्भ में ही पर्याप्त अवधि का आधारभूत प्रोफेशनल तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना उन्हें अपने पद के कर्तव्यों/दायित्वों को समझने, उनका निर्वाह करने एवं उन्हें दक्ष अधिकारी बनाने में सहायक होगा। ज्ञातव्य है कि आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुम्बई द्वारा नगर निकायों से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए अनेक कोर्स विकसित किए गए हैं।

इन कोर्स की अवधि से भी यह स्पष्ट है कि नगरीय निकायों के लिए आवश्यक प्रोफेशनल एवं व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा यह भी संज्ञान में लिया गया

कि भारत सरकार में उन सेवाओं में भी जहॉ कार्यक्रम हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों यथा तकनीकी/इंजीनियरिंग सेवाओं हेतु चयन किया जाता है, वहॉ भी उन्हें प्रायः 02 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः नगरीय निकाय सेवाओं में जहॉ चयन हेतु शैक्षिक योग्यता नगरीय निकाय क्षेत्र से संबंधित किसी विषय में होने की अनिवार्यता नहीं है, वहॉ समुचित अवधि का प्रशिक्षण सेवा में योगदान देते ही दिया जाना जरूरी है और बाद में भी समय–समय पर अलग अवधि के प्रशिक्षण दिये जाने जरूरी हैं। सुशासन हेतु यह स्पष्टतः परमावश्यक है कि चयन के पश्चात् नगरीय निकायों की सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों व कर्मचारियों को उचित अवधि का गुणवत्तापूर्ण अच्छा प्रशिक्षण दिया जाय।

बोर्ड द्वारा यह भी संज्ञान में लिया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की निदेशक, स्थानीय निकाय से इस विषय पर हुई वार्ता में निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगरीय निकायों में अधिकारियों की बहुत कमी है और चयनोपरान्त उन्हें सभी नगरीय निकायों में नियुक्त कर दिया गया है। अब लम्बी अवधि हेतु उन्हें प्रशिक्षण हेतु निकालना संभव नहीं होगा। इन परिस्थितियों में वर्तमान में नगर निकायों में अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल केन्द्रीयित सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण न्यूनतम 03 सप्ताह का रखा जा सकता है। यदि उन्हें एक साथ 03 सप्ताह प्रशिक्षण हेतु निकाले जाने में भी कठिनाई हो तो यह विकल्प हो सकता है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों को पहले 02 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाय तथा पुनः 01 या 02 माह के अन्तराल के बाद उनके लिए 01 सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया जाय। किन्तु भविष्य में नीतिगत निर्णय लेते हुए उनके लिए प्रशिक्षण की अवधि को न्यूनतम 02 माह के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तथा 04 माह के प्रोफेशनल एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण (न्यूनतम कुल 06 माह) हेतु निर्धारित किया जाना अपरिहार्य होगा। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक, नगरीय निदेशालय को उपरोक्तानुसार संस्तुति तथा तीन सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रेषित कर दिया जाय। बोर्ड द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि शीघ्र ही बोर्ड के समक्ष 06 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी रूपरेखा प्रस्तुत की जाय।

(6) **29वीं बैठक दिनांक 30.10.2019**

1. ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओ0बी0पी0ए0एस0) की प्रणाली हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र समयबद्ध रूप से जारी किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट में उल्लिखित आख्या का बोर्ड द्वारा अनुशीलन करते हुए संलग्नकों सहित उसे शासन को प्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. बोर्ड ने दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा तीन सप्ताह में दो चरणों में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के आलेख्य का अनुशीलन किया तथा यह उपयुक्त

पाया कि प्रतिदिन पांच सत्र 1:15 घण्टे के रखे जायें। इस प्रकार प्रति सप्ताह छः दिनों के प्रशिक्षण में तीन सप्ताह में 72 सत्रों के स्थान पर 90 सत्र प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध होगें। प्रतिदिन 15–15 मिनट का टी ब्रेक पूर्वान्ह तथा अपरान्ह में एवं लंच ब्रेक 45 मिनट रखा जाना उपयुक्त पाया गया। तदनुसार प्रस्तुत किए गए दो चरणों में प्रस्तावित त्रिसाप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

बोर्ड ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि 1. प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण अवधि के मध्य राष्ट्रीय अवकाश की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित करने या रविवार को भी प्रशिक्षण आयोजित करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, 2. प्रशिक्षण के विषयों अथवा सत्रों की संख्या में आवश्यक होने पर पुनरीक्षण निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा विचारणीय होगा।

बोर्ड ने अपेक्षा की कि उपरोक्तानुसार 28वीं बैठक दिनांक 27.09.2019 तथा वर्तमान 29वीं बैठक दिनांक 30.10.2019 में लिए गए निर्णयों की भावना के अनुरूप निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु पत्र भेजा जाय।

(7) 30वीं बैठक दिनांक 12.12.2019

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में की गयी अभ्युक्तियों की अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अनुशीलन करते हुए अनुमोदन किया गया ।

2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार के आय–व्ययक के माध्यम से स्वीकृत धनराशि के उपभोग एवं समर्पण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विचार करते हुए यह पाया गया कि अभी तक नगरीय निकाय निदेशालय से बोर्ड कार्यालय के किराया अनुरक्षण शुल्क एवं विद्युत व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल नहीं प्राप्त हुआ है यद्यपि कि इस सम्बन्ध में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को बोर्ड द्वारा पत्र भेजकर एवं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया जा चुका है। इसी प्रकार बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को बोर्ड के पत्र संख्याः न0वि0सं0बो0/डी0–596/2019 दिनांक 01.11.2019 द्वारा प्रस्ताव एवं सुझाव भेजा गया है जिस पर होने व्यय के सम्बन्ध में निदेशक से समुचित उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त के दृष्टिगत विचारोपरान्त बोर्ड ने यह उपयुक्त पाया कि निदेशक, नगरीय निकाय से उक्त प्रकरणों में अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होने के बाद ही बचत की धनराशियों को शासन को समर्पित करने के संबंध में निर्णय लिया जाय। अतः बोर्ड ने अपेक्षा की कि उक्त प्रकरण में निदेशक, नगरीय निकाय को पुनः पत्र भेजकर तथा व्यक्तिगत संपर्क कर अंतिम उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। यदि माह फरवरी, 2020 तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो तत्पश्चात् होने वाली बोर्ड की बैठक में बचतों

के समर्पण के संबंध में एजेण्डा नोट निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय। उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में तत्काल अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

3. नगर निकायों के केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मियों के लिए बोर्ड के उद्देश्यों के प्राप्ति की दृष्टि से प्रशिक्षणों के आयोजन में बोर्ड का योगदान तथा प्रशिक्षण हेतु कोर्स डिजाइन किए जाने एवं प्रशिक्षण साहित्य तैयार किए जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया । बोर्ड ने अपेक्षा की कि नगर निकायों के केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मियों के लिए छः माह, नौ माह तथा एक वर्ष के तीन विकल्पों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा यथाशीघ्र तैयार की जाय। उक्त रूपरेखा तैयार करते समय आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जाय एवं साथ ही उ0प्र0 सिविल (प्रशासकीय सेवा) तथा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी विवरण प्राप्त कर उनका भी यथोचित उपयोग किया जाय।

प्रशिक्षण सहित्य तैयार करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर अलग–अलग राइट अप तैयार किया जाए जिसे संकलित कर पुस्तक का आकार देते हुए मुद्रित कराया जाए। यह पुस्तक एक से अधिक खण्डों में प्रकाशित की जा सकती है ताकि प्रशिक्षार्थियों को पुस्तक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों को ध्यान में रखकर यथासमय वितरित की जा सके। राइट अप तैयार करने के लिए शासनादेश संख्या–एस–3–1753/दस–2004, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 में वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0 द्वारा संस्थान की वार्षिक पत्रिका ''फाइनेन्स एण्ड एकाउन्टस क्रोनिकल'' में लेखों के लिए लेखकों को निम्नांकित दरों पर मानदेय दिये जाने हेतु व्यवस्था की गयी हैः–

(क)	सेवा के अधिकारियों के लिए मानदेय	रू0 750/– प्रति लेख	
(ख)	सेवा से भिन्न विशेषज्ञों के लिए मानदेय	रू0 1500/– प्रति लेख	
(ग)	राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखकों के लिए मानदेय	रू0 2250/– प्रति लेख	

उक्त दरों को बोर्ड की ओर से प्रकाशित होने वाली पुस्तिकाओं के राइट अप/लेखों के लिए भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही यह अपेक्षा की गई कि चूँकि उक्त दर लगभग पन्द्रह वर्ष पुराने हैं और वर्तमान में बहुत कम प्रतीत होते हैं अतः उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाय और यदि उक्त दर अकादमी में राइट अप/लेखों के लिए दिसम्बर, 2004 के बाद शासन द्वारा दरों का उच्चतर अनुमोदन किया गया हो तो उसे ही लागू किया जाए। यह भी अपेक्षा की गई कि प्रशिक्षण का कार्य मूलतः निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा किया जा रहा है तथा बोर्ड द्वारा उन्हें

सहयोग अथवा/तथा परामर्श समय–समय पर दिया जा रहा है अतः उनसे तालमेल रखते हुए ही यह कार्य कराया जाय ताकि इसमें डुप्लीकेशन न हो। जहॉ भी नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा सामग्री विकसित कर ली गई है या की जा रही हो वहॉ पुनः बोर्ड द्वारा सामग्री यथासंभव विकसित न की जाय। जहॉ बोर्ड द्वारा सामग्री विकसित की जाय उसे निदेशालय से परामर्श करके ही अंतिम रूप दिया जाय।

4. बोर्ड के समक्ष प्रस्तावित किया गया कि बैंक आफ बड़ौदा, अर्जुनगंज, जिसमें बोर्ड का बचत खाता संचालित है, से फास्ट टैग की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। बोर्ड द्वारा यह अपेक्षा की गई कि बोर्ड के बचत खाते में अधिक धनराशि होने के दृष्टिगत इन टैग को बोर्ड के बचत खाते से इस प्रकार लिंक न किया जाय जिससे धनराशि स्वतः बचत खाते से कटती रहे। इससे फ्राड होने और उपयोग की सही सूचना मिलने में कठिनाई होगी। ऐसा फास्ट टैग लिया जाय जिसमें समय–समय पर धनराशि भरवाई जाय और एक सीमा तक बचे रहने पर पुनः भरवाई जाय। पुनः भरवाते समय पूर्व में हुए पूरे व्यय का ब्यौरा पत्रावली में रखा जाय। इस हेतु बोर्ड के वाहनों के जनपद से बाहर जाने पर टोल टैक्स के रूप में होने वाले व्यय तथा आकस्मिक यात्राओं को ध्यान में रखते हुए प्रति वाहन रू0 5000/– (सिक्योरिटी सम्मिलित) का फास्ट टैग उपलब्ध कराने हेतु बैंक से अनुरोध किया जा सकता है। बोर्ड के मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यों/अधिकारियों द्वारा लखनऊ से बाहर की यात्राओं के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त बोर्ड के वाहनों में फास्ट टैग की सुविधा होने की अनिवार्यता को देखते हुए उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि फास्ट टैग हेतु जमा धनराशि जब रू0 2000/– से रू0 3000/– के बीच हो जाय, पुनः प्रतिपूर्ति करते हुए उसे रू0 5000/– कर दिया जाएगा। तीन माह पश्चात् फास्ट टैग में भरी गई धनराशि के उपयोग का अध्ययन कर इस धनराशि को घटाने अथवा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बोर्ड के सचिव को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया।

5. श्री राकेश गर्ग, मा0 अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत कार्य से निजी व्यय पर विदेश (संयुक्त राज्य अमेरिका) भ्रमण हेतु दिनांक 21 फरवरी, 2020 से दिनांक 22 मार्च, 2020 तक (दिनांक 21, 22 तथा 23 फरवरी, 2020 को पड़ने वाले क्रमशः महाशिवरात्रि, शनिवार तथा रविवार के राजपत्रित अवकाश को प्रिफिक्स करते हुए तथा दिनांक 21 तथा 22 मार्च, 2020 को पड़ने वाले क्रमशः शनिवार तथा रविवार के अवकाश को सफिक्स करते हुए) कुल 26 दिनों के अवकाश के आवेदन पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया । सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा श्री राकेश गर्ग, मा0 अध्यक्ष को उनके द्वारा निवेदित उक्तवत् 26 दिनों का अवकाश राजपत्रित छुट्टियों को प्रिफिक्स एवं सफिक्स करने की अनुमति के साथ व्यक्तिगत कार्य से निजी व्यय पर विदेश भ्रमण हेतु अनुमोदित किया गया।

6. बोर्ड द्वारा मेसर्स ओम रस्तोगी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के अन्तर्गत बोर्ड की प्राप्तियों को आयकर से छूट दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए बोर्ड के सचिव को अधिकृत किया गया। मेसर्स ओम रस्तोगी एण्ड कम्पनी द्वारा कार्यपूर्ति के उपरान्त उन्हें रू0 29420/– (जी.एस.टी. अतिरिक्त) का भुगतान किया जाएगा।

7. एजेण्डा टिप्पणी के माध्यम से बोर्ड को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 में सम्मिलित किए जाने वाले बिन्दुओं और निदेशक, नगरीय निकाय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में इंगित बिन्दुओं से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या– 2310/9–9–19–एल.सी./19, दिनांक 02.12.2019 के संदर्भ में प्रमुख सचिव (नगर विकास) के स्तर पर निर्धारित दिनांक 09 दिसम्बर को बैठक के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा समस्त स्थाई सदस्यों व बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श उपरांत एक टिप्पणी बोर्ड के पत्रांकः न0वि0सं0बो0/डी0–664/2019, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 द्वारा निदेशक (नगरीय निकाय) व प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्रेषित कर दी गई है। बोर्ड के समक्ष एजेण्डा टिप्पणी में उक्त पत्र को भी उद्धृत किया गया है । बोर्ड ने सम्यक् अनुशीलनोपरान्त निदेशक, नगरीय निकाय एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को प्रेषित उक्त पत्र पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

बोर्ड को बैठक के दौरान सचिव व शोध अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 09 दिसम्बर की बैठक में प्रमुख सचिव (नगर विकास) द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि भारत सरकार से प्राप्त आदर्श अधिनियम (मॉडल एक्ट) का पुनः अध्ययन कर उससे तुलनात्मक टिप्पणी उन्हें प्रस्तुत की जाय। बोर्ड ने यह अपेक्षा की, क्योंकि अभी और समय इस हेतु उपलब्ध हो गया है अतः पुनः भारत सरकार से प्राप्त आदर्श अधिनियम के आलोक में अध्ययन का विस्तृत टिप्पणी शासन को भेजी जाय।

8. उ0प्र0 नगरपालिका (भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2019 में वाणिज्यिक काम्प्लेक्स और दुकानों का गुणांक कम रखने के संबंध में शासन को औचित्य से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए एजेण्डा टिप्पणी पर सम्यक् विचार करते हुए बोर्ड द्वारा तदनुसार शासन को पत्र प्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. जेम पोर्टल पर उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के प्राइमरी यूजर के रूप में पंजीकृत मा0 अध्यक्ष के स्थान पर बोर्ड के सचिव को प्राइमरी यूजर बनाये जाने के सम्बन्ध में अवगत होते हुए बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(8) 31वीं बैठक दिनांक 18.02.2020

1. बोर्ड द्वारा बोर्ड की 30 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अनुशीलन करते हुए उस पर संतोष व्यक्त किया गया, साथ ही बोर्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया कि अन्य बिन्दु–1 पर लिए गए निर्णय, जो उ0प्र0 नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 में सम्मिलित किए जाने वाले बिन्दुओं और निदेशक, नगरीय निकाय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 20.11.2019 के कार्यवृत्त में इंगित बिन्दुओं के संबंध मे विचार विषयक है, के संदर्भ में टिप्पणी शीघ्र तैयार कर शासन को प्रेषित की जाए।

2. बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वित्त विशेषज्ञ तथा शोध अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जाए। साथ ही शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों तथा विभागाध्यक्षों को भी उक्त पदों की रिक्तियों के सम्बन्ध में विवरण भेजते हुए इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाएं। पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने को प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया। किन्तु यदि पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध हो पाते तो इसे उपयुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों में से चयन द्वारा संविदा के आधार पर भरा जाएगा। पद हेतु विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा पर नियुक्ति की दशा में संविदा अवधि प्रथमतया एक वर्ष होगी जिसे बोर्ड द्वारा पदधारक की सेवाओं के संतोषजनक होने पर दो वर्षो के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति के मामले में शासन द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तें लागू होंगी और नई नियुक्तियॉ वर्तमान पदधारकों के सेवा अवधि, जो वित्त विशेषज्ञ के मामले में 10 अगस्त, 2020 तथा शोध अधिकारी के मामले में 30 जून, 2020 है, के पूर्ण होने के बाद की तिथि से प्रभावी होगीं। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पदों को भरने हेतु जारी होने वाली विज्ञप्ति में पूर्व में जारी विज्ञप्ति में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष में निहित होगा।

3. बोर्ड ने यह संज्ञान में लेते हुए कि शासन द्वारा बोर्ड के सदस्यों के दो पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है तथा वैयक्तिक सहायकों द्वारा मा0 सदस्यों के बीच आवंटित कार्यों में सचिवालयीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है तथा बोर्ड कार्यालय के अन्य लिपिकीय कार्यों का सम्पादन संतोषजनक रूप से किया जा रहा है, निर्णय लिया कि वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 के पदधारक श्री आलोक तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के वर्तमान पदधारकों, श्री के0एल0 गेहानी एवं श्री दुर्वेश कुमार की संविदा सेवा अवधि, जो दिनांक 05 मार्च, 2020 को पूर्ण होगी, को एक वर्ष अर्थात 05 मार्च, 2021 तक के लिए विस्तारित कर दिया जाए। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्तारित अवधि में भी किसी भी समय इनकी सेवाएं पूर्व की भांति कभी भी 01 माह की

नोटिस देकर अथवा उसके बदले 01 माह की परिलब्धियों के समतुल्य धनराशि का भुगतान करते हुए बिना कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। पदधारक भी बोर्ड को 01 माह की नोटिस देकर अथवा उसके बदले 01 माह के वेतन परिलब्धियों के समतुल्य धनराशि का भुगतान करते हुए किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है। विस्तारित अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्ति की सभी संदर्भ शर्तें भी पूर्व के समान ही रहेंगी।

4. बोर्ड ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि बोर्ड कार्यालय में नगरीय निकायों में निहित सम्पत्तियों हेतु साफ्टवेयर एवं डेटाबेस तैयार किए जाने तथा निकायों से सम्बन्धित फीड किए जाने से सम्बन्धित कार्यो को पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यकता को देखते हुए एन0आई0सी0 (जो भारत सरकार की एक संस्था है) के माध्यम से एक सहायक प्रोग्रामर की सेवाएं 30 सितम्बर, 2020 तक पूर्ववत् प्राप्त की जाती रहें। प्रदत्त सेवाओं के लिए एन0आई0सी0 को उनके द्वारा निर्धारित मानक दरों पर जी0एस0टी0/आयकर के स्रोत पर कटौती करते हुए भुगतान किया जाएगा।

5. बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आवंटित धनराशियों में से निम्नांकित धनराशियों को शासन को समर्पित किए जाने का निर्णय लिया गया :–

क्र.सं.	मद का नाम	शासन को समर्पित की जाने वाली धनराशि (लाख रूपये में)
01	20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	170.00
02	31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	9.08
	योगः	179.08

6. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड की कार्य योजना के आलेख्य को सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदित किया तथा निर्देशित किया कि इसे शासन को राज्य सरकार के गजट में प्रकाशन हेतु भेज दिया जाए।

7. ई टेन्डरिंग हेतु श्री गजेन्द्र कुमार, कर निर्धारण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किए जाने के सम्बन्ध में अवगत होते हुए बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. बोर्ड द्वारा बोर्ड के डोमेन नेम यू0पी0बी0डी0एम0एफ0आर0.जी0ओ0वी0.इन0 के नवीकरण कराए जाने से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

9. निदेशक, नगरीय निकाय के पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में बोर्ड कार्यालय के लिए आवंटित स्थल के अनुरक्षण हेतु अनन्तिम रूप से रूपया तीन लाख प्रतिमाह की दर से दस माह के लिए रूपया तीस लाख की धनराशि अनन्तिम रूप से भुगतान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। तदनुसार बोर्ड द्वारा अनुरक्षण अंशदान के रूप में रूपया तीस लाख का अनन्तिम भुगतान नगरीय प्रशिक्षण एवं शाोध केन्द्र के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर दिया गया है। निदेशक, नगरीय निकाय से पूर्व भुगतानित रूपया 1096884/– का समायोजन बिजली व्यय के मद में वास्तविक रूप से भुगतान की जाने वाली धनराशि में से करते हुए शेष धनराशि का मांगपत्र प्रेषित किए जाने का अनुरोध कर लिया गया है। बोर्ड ने वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

10 नगर निकायों के केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मियों के लिए बोर्ड के उद्देश्यों के प्राप्ति की दृष्टि से प्रशिक्षणों के आयोजन में बोर्ड का योगदान तथा प्रशिक्षण हेतु कोर्स डिजाइन किया जाना एवं प्रशिक्षण सहित्य तैयार किए जाने के सम्बन्ध में एजेन्डा टिप्पणी एवं प्रस्तुत आधारभूत प्रशिक्षण, व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण हेतु निकायों से सम्बद्धता तथा प्रोफेशनल प्रशिक्षण के प्रारूप एवं विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। छः माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो माह आधारभूत प्रशिक्षण हेतु, पन्द्रह दिन निकायों से सम्बद्धता हेतु तथा तीन माह पन्द्रह दिन प्रोफेशनल प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसे बोर्ड ने विचारोपरान्त उपयुक्त पाया। प्रशिक्षण अवधि में सम्मिलित किए गए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तथा कतिपय परिवर्तनों के साथ उसे बोर्ड द्वारा, जैसाकि संलग्नक– 14 पर प्रस्तुत है, अनुमोदित किया गया। निर्देशित किया गया कि अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम को अग्रेतर कार्यवाही हेतु निदेशक, नगरीय निकाय को बोर्ड की तीसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों के संगत अंशों का उल्लेख करते हुए प्रेषित कर दिया जाए। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नौ माह व एक वर्ष हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा भी शीघ्र ही बनाते हुए निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजी जाए।

11. बोर्ड ने विचारोपरान्त यह उपयुक्त पाया कि शाासन से यह अनुरोध कर लिया जाए कि उनके द्वारा इस आशय का निर्देश सभी नगर निकायों को जारी किया जाए कि मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के अनुरूप निकायों द्वारा अपने नगर निकाय में जी0आई0एस0 से सम्बन्धित कार्य रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के दिशा निर्देशन में ही कराया जाए ताकि जी0आई0एस0 सर्वे गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सके। इसके साथ ही निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (उत्तर प्रदेश रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर) के साथ एक एम0ओ0यू0

करने पर विचार कर लिया जाए जिसमें यह स्पष्ट व्यवस्था हो कि यथावश्यक नगरीय निकायों की मॉग पर किए जाने वाले जी0आई0एस0 सर्वे से प्राप्त सूचनाओं व नक्शों को ये स्थाई अभिलेखों की भॉति सुरक्षित रखेगें और शाासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर राज्य अभिलेखागार को सुरक्षित हस्तांतरित करेगें। तदनुसार बोर्ड द्वारा शाासन एवं नगरीय निकाय निदेशाालय को पत्र भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

12. बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त शासन से निम्नवत् आदेश जारी करने हेतु पत्र प्रेषित करने किए जाने हेतु निर्देश दिया गया :

(क) नगर निगमों के प्रकरण में शाासन द्वारा नगर आयुक्तों को निर्देशित करने पर विचार कर लिया जाए कि सम्पत्तियों के मूल्यांकन और कर निर्धारण के निमित्त अपेक्षित मासिक किराया दर का निर्धारण यथाविधि नगर आयुक्तगण स्वयं निर्धारित करें तथा निश्चित समयावधि में पुनरीक्षण न करने पर सम्बन्धित नगर आयुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु शासन स्तर से निर्गत करने हेतु पत्रालेख्य भी संलग्न कर भेज दिया जाय।

(ख) नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों के प्रकरण में भी शासन स्तर से सभी अधिशासी अधिकारियों को सम्पत्तियों के मूल्यांकन और कर निर्धारण के निमित्त अपेक्षित मासिक किराया दर प्रति दो वर्षों में यथाविधि पुनरीक्षित करने हेतु शासन द्वारा निर्देशित कर दिया जाए। इस हेतु भी शासन स्तर से निर्गत करने हेतु पत्रालेख्य संलग्न कर भेज दिया जाए।

13. बोर्ड ने निर्णय लिया कि नगर निगम लखनऊ एवं नगर निगम, कानपुर में आय के स्रोत बढ़ाये जाने के उद्देश्य से हेलीकाप्टरों अथवा अन्य प्रकार के यानों पर कर लगाने के संबंध में अभिमत निश्चित करने हेतु इस विषय में विधिक प्राविधानों एवं अन्य कतिपय राज्यों में इस प्रकार के कर लगाए जाने के संबंध में वस्तुस्थिति का अध्ययन कर पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

14. बोर्ड की 26वीं बैठक दिनांक 21.08.2019 में निर्णय लिया गया है कि जेम पोर्टल से इतर एक माह में रू0 20000/– की सीमा तक स्टेशनरी आइटम एवं अन्य छुटपुट वस्तुओं का क्रय सीधे बाजार से क्रय किए जाने हेतु बोर्ड के सचिव अधिकृत होगें। अतः 300 अदद छोटी स्लिप बुक्स का क्रय ओपेन मार्केट से करने पर रू0 3649/– के व्यय को संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया कि इस प्रकार का व्यय, जिसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए सचिव, प्राधिकृत हैं, बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

15. उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की विनियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने के संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डा0 वरूण छाछर, असिस्टेंट प्रोफेसर के नेतृत्व में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। डा0 छाछर के पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा यथानिवेदित, बोर्ड ने विचारोपरान्त विनियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप से प्रस्तुत किए जाने हेतु समय विस्तार को औचित्यपूर्ण पाते हुए एतदर्थ 30 अप्रैल, 2020 तक समय बढ़ाने का निर्णय लिया। बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि तदनुसार डा0 छाछर को सूचित कर दिया जाए।

16. बोर्ड में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत वरिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर/कनिष्ठ सहायक/लिपिक/संख्या सहायक के पारिश्रमिक की दरों में पुनरीक्षण के प्रस्तुत प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण पाते हुए बोर्ड ने शासन को तथ्यात्मक प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया । जहॉ तक पत्र के आलेख्य के अनुमोदन का प्रश्न है, इसे बोर्ड के स्तर पर अनुमोदित किया जाना आवश्यक नहीं पाया गया।

17. शासन ने अपने पत्र संख्याःवी0आई0पी0–5/नौ–9–2020–24ज/20, दिनांक 04 फरवरी, 2020 द्वारा श्री साहिब सिंह सैनी, मा0 सदस्य. उ0प्र0 विधान परिषद एवं सभापति, खाद्य पदार्थो में मिलावट एवं नकली दवाओं के प्रचलन से जन–जीवन की स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम हेतु समिति के दिनांक रहित पत्र और उसके साथ श्रीमती गायत्री देवी, 13/1, विकासनगर, लखनऊ के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए प्रदेश के विकलांगजनों को जलकर के साथ सीवरकर की भी छूट दिए जाने के सम्बन्ध में आख्या और अभिमत उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की है। बोर्ड ने उक्त के संदर्भ में एजेण्डा नोट पर प्रस्तावित आख्या/अभिमत का अनुमोदन करते हुए तदनुसार उसे शासन को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया।

18. शाासन के नगर विकास अनुभाग–9 के पत्र संख्या–247/नौ–9–20–85 ज/05 टी0सी0–1, दिनांक 27 जनवरी, 2020 के संदर्भ में उ0प्र0 नगरपालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2019 दिनांक 18. 11.2019 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर बोर्ड का अभिमत उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट पर प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुशीलन किया गया। उक्त प्रस्ताव में कतिपय संशोधन करते हुए बोर्ड द्वारा कार्यवृत्त के साथ संलग्नक 18 पर सम्पत्तिवार बोर्ड के अभिमत के अनुरूप प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने निर्णय लिया कि शासन को उनके पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2020 के संदर्भ में आपत्तिवार बोर्ड के अभिमत से अवगत कराते हुए उत्तर प्रेषित कर दिया जाए।

19. श्री ओ0एन0 सिंह, आई0ए0एस0 (से0नि0) ने बोर्ड के मा0 सदस्य के रूप में दिनांक 17.5.2018 को शपथ ग्रहण किया। मा0 सदस्य के रूप में श्री सिंह ने अपने वृहद अनुभव एवं व्यापक ज्ञान का परिचय देते हुए बोर्ड द्वारा नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि हेतु विचार–विमर्श एवं प्रस्तावों को तैयार करने में लाभान्वित किया। श्री सिंह के सुविचारित सुझाव एवं परामर्श बोर्ड को ससमय प्राप्त होते रहे। श्री सिंह के फील्ड स्तर पर कार्य करने के बृहद् अनुभव तथा उपायकुशलता का बोर्ड को काफी लाभ प्राप्त हुआ। श्री सिंह की नियुक्ति शासन द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सदस्य के रूप में हो जाने के कारण वे दिनांक 02.01.2020 से बोर्ड में अपने पदभार से मुक्त हो गए। बोर्ड ने श्री ओ0एन0 सिंह निवर्तमान सदस्य के प्रति उनके विशिष्ट एवं प्रशंसनीय योगदान हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। बोर्ड द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि बोर्ड की भावनाओं से मा0 श्री ओ0 एन0 सिंह को अवगत भी करा दिया जाए।

20. बोर्ड ने नगरीय निकायों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) का उपयोग' नाम पुस्तिका की 3000 प्रतियों को जेम पोर्टल के माध्यम से मुद्रित/प्रकाशित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किया। पुस्तिका का कवर 300 जी.एस.एम. लैमिनेशन सहित कलर तथा अन्य पन्ने 80 जी.एस.एम. ग्लेज्ड होगें। पुस्तिका में यथावश्यक कलर पृष्ठ भी होंगे। बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया कि ''केन्द्र सरकार की सम्पत्तियों पर नगरीय निकायों को सेवा प्रभार का भुगतान'' पुस्तिका भी मुद्रण/प्रकाशन हेतु तैयार कर ली गई है। बोर्ड ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस पुस्तिका की भी 3000 प्रतियॉ जेम पोर्टल के माध्यम से मुद्रित करा ली जाएं। इस पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ 300 जी.एस.एम. लैमिनेशन सहित कलर तथा अन्य पन्ने 70 जी.एस.एम. के कागज पर ब्लैक एण्ड ह्वाइट में छपेगें। पुस्तक में छपने वाले संदेश रंगीन 80 जी0एस0एम0 ग्लेज्ड कागज पर होगें। निर्देशित किया गया कि तदनुसार पुस्तकों के मुद्रण हेतु कार्यवाही शीघ्र की जाए। बोर्ड द्वारा उक्त मुद्रण/प्रकाशन पर जेम पोर्टल से प्राप्त प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिए जाने तथा कार्यादेश निर्गत किए जाने हेतु बोर्ड के सचिव को अधिकृत किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

21. उत्तर प्रदेश नगरपालिका (भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2019 के संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या न0वि0सं0बो0/डी–682/2019, दिनांक 17.12.2019 द्वारा शासन को प्रेषित आख्या, जिसके द्वारा नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है, का अवलोकन एवं कार्योत्तर अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया :–

1. श्रेणी–2 और श्रेणी–3 में अंकित सभी सम्पत्तियों या उसमें से किसी एक या अधिक प्रकार की सम्पत्तियों के गुणांक का क्रमशः 03 गुना और 04 गुना तक नियत करने का अधिकार नगर पालिका को होगा।

2. श्रेणी–4 में अंकित अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो श्रेणी–1 से 3 में उल्लिखित नहीं है, के संबंध में नगर पालिकाओं को अधिकार होगा कि वे संकल्प द्वारा उस विषेश प्रकार की सम्पत्ति पर श्रेणी–4 में उल्लिखित गुणांक को घटा कर आवासिक भवनों हेतु नियत दर का 2 गुना या बढ़ाकर 4 गुना निर्धारित कर सकेंगी।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि एजेण्डा बिन्दु पर लिए गए निर्णय के अनुरूप आपत्तिवार बोर्ड का अभिमत भेजते समय कवरिंग पत्र में इस एजेण्डा अन्य बिन्दु–2 में प्रस्तुत इन दोनों पत्रों का पुनः उल्लेख करते हुए उन्हें संलग्न कर प्रेषित कर दिया जाए।

22. श्री राकेश गर्ग, मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, दिनांक 21 फरवरी, 2020 से दिनांक 22 मार्च, 2020 तक अवकाश पर व्यक्तिगत कार्य से विदेश भ्रमण हेतु जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उनकी अवकाश की अवधि में अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था की जाएगी :–

(क) 21 फरवरी, 2020 से दिनांक 26 फरवरी, 2020 तक श्री शंकर सिंह, मा0 सदस्य द्वारा अध्यक्ष, उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा एवं 26 फरवरी, 2020 को उनका कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् दिनांक 27 फरवरी, 2020 से मा0 अध्यक्ष के विदेश भ्रमण से लौटने तक श्री डी0पी0 पाल, सचिव, उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा सचिव के रूप में बोर्ड के समस्त कार्यो का निर्वहन वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यगण के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। यदि इस मध्य बोर्ड के किन्ही मा0 सदस्य/सदस्यों का चयन/शपथग्रहण हो जाता है तो शपथग्रहण के उपरान्त उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 की धारा 9 के अनुरूप उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुने गए सदस्य द्वारा मा0 अध्यक्ष के विदेश भ्रमण से वापस लौटने पर्यन्त बोर्ड के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा।

बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार कार्यालय आदेश जारी किया जाए।

23. पत्र संख्या–/2387नौ–9–2019–24ज/19 दिनांक 2020/01/01 द्वारा नगर निगम कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गए एक–मुश्त समाधान योजना के संशोधित प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की आख्या एवं अभिमत शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में एजेण्डा बिन्दु पर उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करते हुए बोर्ड द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गयाः–

(क) यह अभिमत प्रेषित किया जा सकता है कि शासन द्वारा नगर निगम कानपुर के पत्र संख्याः 1227/3/4, दिनांक 10.12.2019 के बिन्दु 01 से 03 पर उल्लिखित निम्नांकित अंशों को स्वीकृत किया जा सकता है :–

(1) ओ०टी०एस० में आच्छादित भवनों के प्रकार और ब्याज पर छूट वही है जो लखनऊ नगर निगम की ओ०टी०एस योजना में शासन द्वारा अनुमोदित है।

(2) सरकारी और अर्ध–सरकारी कार्यालय के अतिरिक्त सभी प्रकार के भवनों पर दि० 2019-04-01 के अवशेष मांग पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में शासन की स्वीकृति दिनांक से एक माह तक 20 प्रतिशत तथा तदुपरापन्त आगामी 05 माह तक अवशेष मांग पर 10 प्रतिशत छूट प्रभावी होगी।

(3) सरकारी, अर्ध–सरकारी एवं उपक्रमों की सम्पत्तियाँ जिनके करों का भुगतान उ०प्र० शासन द्वारा आवंटित बजट से किया जाता है, उनके लिए यह योजना मार्च 2021 तक लागू रहेगी।

(ख) यह भी संस्तुति की जा सकती है कि जहाँ तक मार्च 2019 से मई 2019 के मध्य शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू ओ०टी०एस० का प्रकरण है, वर्णित परिस्थितियों में इस अवधि हेतु क्रमांक (1) से क्रमांक (3) में अंकित भवन के प्रकार और ब्याज में छूट के अनुसार शासन द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति देने पर विचार किया जा सकता है।

संलग्नक–2

आन्तरिक लेखा परीक्षक – हेम सन्दीप एण्ड कम्पनी, (चार्टर्ड एकाउन्टेन्स), जी–59 ए, संजय गांधी पुरम्, इन्दिरानगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016 (यू0पी0), भारत, मोबाइल सं0–9415182569

द्वारा

उ0 प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के लेखों के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बोर्ड के साथ सम्पन्न अनुबन्ध दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 की भॉति, वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2017–18 तक से सम्बन्धित लेन देन एवं वार्षिक लेखों के सत्यापन तथा लेखा परीक्षा, विधिक अनुपालन, एवं प्रोफेशनल परामर्श देने के दायित्व का निर्वहन यथा समय सफलतापूर्वक किया जा चुका है। उक्त के क्रम में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 का आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बोर्ड को एतद्द्वारा निम्नांकित अभ्युक्तियों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है :–

आन्तरिक लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ (आब्जर्वेशन्स)

I. वित्तीय वर्ष 2017–18 में अक्टूबर, 2017 से आहरण एवं वितरण का कार्य स्वयं बोर्ड के स्तर से किया जा रहा है। इसके पूर्व इस दायित्व का निर्वहन वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय तथा अप्रैल, 2017 से सितम्बर 2017 तक 'सूडा' कार्यालय द्वारा किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने कार्यालय को सुदृढ़ करते हुए स्वयं के स्तर से आहरण–वितरण का कार्य संभालने के बाद वित्तीय नियमों का अनुपालन एवं लेखों का रखरखाव यथा वॉछित तरीके से किया जा रहा है।

II. बोर्ड कार्यालय के पर्यटन भवन से स्थानान्तरित होकर वर्तमान परिसर में स्थापित होने की तिथि दिनांक 12.12.2018 से उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय निदेशालय का नगरीय कार्यालय भवन के किराया का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। विद्युत व्यय मद में रू0 1961760/– धनराशि का भुगतान किया गया है। अतः निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय से भवन किराया एवं विद्युत व्यय से सम्बन्धित बिलों अथवा मांग पत्र को प्राप्त करके समय से भवन किराया मद में भी समय से भुगतान किये जाने का सुझाव दिया जाता है।

III. बोर्ड कार्यालय में रिक्त पदों को भरने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रभावी कार्यवाही की गयी है। किन्तु फिर भी कतिपय पदों जैसे सहायक अभियन्ता

(सिविल), कर निर्धारण अधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अवर अभियन्ता, राजस्व निरीक्षक के एक–एक पद तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के 02 पद रिक्त हैं। बताया गया कि कर निर्धारण अधिकारी तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी के पदों पर शीघ्र ही प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जायेगी। शेष पदों को भरने की प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि बोर्ड अपने कृत एवं दायित्वों का निर्वहन करने में पूर्णतया सक्षम हो सके।

IV. उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम–2011 के अध्याय–5 में बोर्ड के मुख्य कृत्यों का उल्लेख है। इन कृत्यों के सन्दर्भ में बोर्ड अग्रसर है। सुझाव है कि बोर्ड समय–समय पर समीक्षा कर अपने मुख्य कृत्यों को पूर्ण करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृत्यों के अनुपालन में विस्तार किये जाने पर बोर्ड के बजट का बेहतर सदुपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।

V. बोर्ड के वाहनों की लॉग बुकें देखी गई। वर्ष 2018–19 में लॉगबुकों पर संगत प्रविष्टियॉ की गई हैं। इन्हें कार्यालय में संरक्षित कर लिया जाय।

VI. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बोर्ड का कार्यालय पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ से स्थानान्तरित होकर गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ, पर स्थित उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय निदेशालय नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के भवन में आ गया है। उक्त कार्यालय के स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा कतिपय आस्तियों को यूपीडा को स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसके बदले यूपीडा द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2019 को रू0 1876314/– की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा की गयी है। उक्त धनराशि को तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त होने वाली धनराशि को बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जमा कराने पर विचार कर लिया जाये। इसी प्रकार राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राज्यकोष में जमा कराया जाना विचारणीय होगा।

हेम सन्दीप एण्ड कम्पनी के लिए
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
एफ0आर0 नं0–009907एन
ह/–
(सी.ए.अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
साझेदार

उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के वर्ष 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का भाग बनने वाले महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों का शिड्यूल

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ

लेखांकन का आधार

गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड को कोषागार के माध्यम से उ0प्र0 सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नगरनिकायों की वित्तीय मजबूती की समीक्षा करना एवं राजस्व के विभिन्न स्रोतों की दक्षता का आकलन करना है, जिससे इसमें अभिवृद्धि की जा सके और अन्य नये संसाधन भी सृजित किये जा सके जैसा कि अध्याय तीन में बोर्ड की शक्तियॉ/कृत्य और प्रक्रिया से उल्लिखित है। सरकारी लेखांकन प्रणाली एवं वित्तीय नियंत्रण की भावना समग्रता में इसके लेखा कार्य प्रणाली को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। उक्त के दृष्टिगत यद्यपि लेखों को दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा कामर्शियल लेखा प्रणाली को बारीकी से लागू किया जाय इस प्रकार के सूक्ष्म विचलन स्वाभाविक है और उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की प्रकृति को देखते हुए स्वीकार किये जा सकते हैं। उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के लेखे ऐतिहासिक कास्ट कन्वेंशन एवं कैश आधारित लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किये जाते हैं। आय/अनुदान को तभी लेखांकित किया जाता है जब वह वास्तव में प्राप्त हो जाय और व्ययों को तभी संज्ञान में लिया जाता है जब वे वास्तव में भुगतानित/कर लिये जाय। उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के कर्मियों के द्वारा व्यय करते समय मान्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है।

(क) अचल आस्तियॉः

अचल आस्तियों के क्रय को उनके अर्जन की लागत के अनुसार उल्लिखित किया जाता है।

(ख) मूल्यह्रासः

चूॅकि अचल सम्पत्तियों का लेखांकन कैश आधारित होता है। शासकीय लेखा प्रणाली के अनुसरण में शक्तियों पर कोई मूल्यह्रास भारित नहीं किया जाता है।

हः/–	हः/–	हः/–	हः/–
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)	(वित्त विशेषज्ञ, बोर्ड)	(सचिव, बोर्ड)	(अध्यक्ष, बोर्ड)

हस्ताक्षर एवं सील
हेम सन्दीप एण्ड कम्पनी के लिए
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय, शहीद पथ, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010

31.03.2019 को यथास्थिति तुलनपत्र				
देयतायें	**धनराषि (रू0)**	**धनराषि (रू0)**	**आस्तियॉ**	**धनराषि (रू0)**
निधि लेखा			**अचल आस्तियॉ**	
प्रारम्भिक शेष	34660803		काष्ठोपकरण एवं फिक्सचर लेखा	1423458
गतवर्ष की अवशेष धनराशि से व्यय	–1269842		मोटर वाहन लेखा	3479612
योग	33390961		कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर लेखा	1317082
घटाइयेः ब्याज प्राप्ति देयतायें पूर्व वर्ष	249255		एयरकन्डीशनर लेखा	687814
घटाइयेः पूर्व वर्ष के सम्पत्तियों की हस्तान्तरण करी धनराशि	313525	32828181	कार्यालय उपकरण	273717
ड0प्र0 सरकार की देयताः			फोटोकापियर लेखा	160877
ब्याज प्राप्ति देयतायें 2017–18	249255		विद्युत एवं अन्य एप्लायेंसेज लेखा	284673
ब्याज प्राप्ति देयतायें 2018–19	838362		आडियो एवं विजुअल उपकरण लेखा	811742
सम्पत्तियों के हस्तान्तरण की देयता	1879314	2966931		
			ऋण एवं अग्रिम	0
			चालू आस्तियॉ	
			बैंक इतिशेष केनरा बैंक में बचत बैंक खाता सं0 2405101013948 में	7356137
			देना बैंक खाता सं0 165310033579 में	20000000
योग		35795112		35795112

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ एवं लेखों तथा अचल आस्तियों पर टिप्पणियॉ उक्त वित्तीय विवरण का भाग होगा।

हः/–	हः/–	हः/–	हः/–
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)	(वित्त विशेषज्ञ, बोर्ड)	(सचिव, बोर्ड)	(अध्यक्ष, बोर्ड)

हस्ताक्षर एवं सील
हेम सन्दीप एण्ड कम्पनी के लिए
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय, शहीद पथ, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010

वित्तीय वर्ष 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

व्यय का विवरण	धनराशि (रू0)	आय का विवरण		धनराशि (रू0)
मुख्य लेखा शीर्ष– वेतन		अनुदान		
मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता इत्यादि	12463293	गैर वेतन लेखा शीर्ष	10000000	
मुख्य लेखा शीर्ष– गैर वेतन		वेतन लेखा शीर्ष	10000000	
पारिश्रमिक लेखा	1984467	सातवें वेतन का अवशेष लेखा शीर्ष	154000	
यात्रा भत्ता लेखा	470996	विविध प्राप्ति लेखा	4680	
टेलीफोन, ब्राड बैंड कनेक्शन व्यय लेखा	172361	गतवर्ष की अवशेष धनराशि से व्यय	1269842	21428522
भवन किराया	1950334			
विद्युत व्यय लेखा	1344199			
कम्प्यूटर प्रिन्टर/टोनर लेखा	95622			
मुद्रण एवं स्टेशनरी लेखा	400327			
मानदेय लेखा	15470			
बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन लेखा	507559			
वाहनों का रखरखाव, पी0ओ0एल0	486948			
किराये पर वाहन लिया जाना लेखा	536593			
विद्युत उपकरण लेखा	23828			
कार्यालय व्यय लेखा	273120			
विज्ञापन लेखा	136360			
व्यावसायिक शुल्क लेखा	60030			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेखा	8691			
पोस्टल स्टाम्प लेखा	98000			
कार्यालय में केबिन व पार्टीशन का व्यय लेखा	387000			
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं जर्नल लेखा	13324			
योग	**21428522**	**योग**		**21428522**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ एवं लेखों तथा अचल आस्तियों पर टिप्पणियॉ उक्त वित्तीय विवरण का भाग होगा।

हः/–	हः/–	हः/–	हः/–
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)	(वित्त विशेषज्ञ, बोर्ड)	(सचिव, बोर्ड)	(अध्यक्ष, बोर्ड)

हस्ताक्षर एवं सील
हेम सन्दीप एण्ड कम्पनी के लिए
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय, शहीद पथ, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010

वित्तीय वर्ष 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियों का विवरण	धनराशि (रू0)	भुगतान का विवरण	धनराशि (रू0)
प्रारम्भिक शेष	26021852	**मुख्य लेखा शीर्ष – वेतन**	
उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान		मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता इत्यादि	
गैर वेतन लेखा शीर्ष	10000000		12463293
वेतन लेखा शीर्ष	10000000	**मुख्य लेखा शीर्ष –गैर वेतन**	
सातवें वेतन का अवशेष लेखा शीर्ष	154000	पारिश्रमिक लेखा	1984467
ब्याज प्राप्ति लेखा	838362	यात्रा भत्ता लेखा	470996
बोर्ड को यूपीडा को हस्तान्तरण से प्राप्त धनराशि	1879314	टेलीफोन, ब्राड बैंड कनेक्शन व्यय लेखा	172361
विविध प्राप्ति लेखा	4680	भवन किराया	1950334
		विद्युत व्यय लेखा	1344199
		कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर लेखा	91635
		कम्प्यूटर प्रिन्टर/टोनर लेखा	95622
		मुद्रण एवं स्टेशनरी लेखा	400327
		फर्नीचर एवं उपकरण लेखा	21914
		मानदेय लेखा	15470
		बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन लेखा	507559
		वाहनों का रखरखाव, पी0ओ0एल0	486948
		किराये पर वाहन लिया जाना लेखा	536593
		विद्युत उपकरण लेखा	23828
		कार्यालय व्यय लेखा	273120
		विज्ञापन लेखा	136360
		व्यावसायिक शुल्क लेखा	60030
		चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेखा	8691
		पोस्टल स्टाम्प लेखा	98000
		कार्यालय में केबिन व पार्टीशन का व्यय लेखा	387000
		समाचार पत्र, पुस्तकें एवं जर्नल लेखा	13324
		बैंक इतिशेष केनरा बैंक में बचत बैंक खाता सं0 2405101013948 में	7356137
		देना बैंक खाता सं0 165310033579 में	20000000
योग	**48898208.00**	**योग**	**48898208.00**

ह:/– ह:/– ह:/– ह:/–

(आहरण एवं वितरण अधिकारी) (वित्त विशेषज्ञ, बोर्ड) (सचिव, बोर्ड) (अध्यक्ष, बोर्ड)

हस्ताक्षर एवं सील
हेम सन्दीप एण्ड कम्पनी के लिए
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय, शहीद पथ, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010

शेड्यूल – ए

31.03.2019 को यथास्थिति अचल आस्तियों का शेड्यूल

क्र0	विवरण	प्रारम्भिक अवशेष (रू0)	वर्ष के दौरान जोड़ (रू0)	कुल योग	वर्ष के दौरान घटाया (रू0)	इतिशेष (रू0)
1.	काष्ठोपकरण एवं फिक्सचर लेखा	1715069.00	21914.00	1736983.00	313525.00	1423458.00
2.	मोटर वाहन लेखा	3479612.00	0.00	3479612.00	0.00	3479612.00
3.	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर लेखा	1225447.00	91635.00	1317082.00	0.00	1317082.00
4.	एयरकन्डीशनर लेखा	687814.00	0.00	687814.00	0.00	687814.00
5.	कार्यालय उपकरण लेखा	273717.00	0.00	273717.00	0.00	273717.00
6.	फोटोकापियर लेखा	160877.00	0.00	160877.00	0.00	160877.00
7.	विद्युत एवं अन्य एप्लायेंसेज लेखा	284673.00	0.00	284673.00	0.00	284673.00
8.	आडियो एवं विजुअल उपकरण लेखा	811742.00	0.00	811742.00	0.00	811742.00
	योग	8638951.00	113549.00	8752500.00	313525.00	8438975.00

ह:/– ह:/– ह:/– ह:/–

(आहरण एवं वितरण अधिकारी) (वित्त विशेषज्ञ, बोर्ड) (सचिव, बोर्ड) (अध्यक्ष, बोर्ड)

हस्ताक्षर एवं सील
हेम सन्दीप एण्ड कम्पनी के लिए
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

A.K. Enterprises : # 8353975851